निबंधन संख्या पी0टी0-40

सत्यमेव जयते

बिहार गजट

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 25

29 ज्येष्ठ 1941 (श0)
पटना, बुधवार,
19 जून 2019 (ई0)

विषय-सूची

	पृष्ठ
भाग-1–नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं।	2-12
भाग-1-क–स्वयंसेवक गुल्मों के समादेष्टाओं के आदेश।	---
भाग-1-ख–मैट्रीकुलेशन, आई0ए0, आई0एससी0, बी0ए0, बी0एससी0, एम0ए0, एम0एससी0, लॉ भाग-1 और 2, एम0बी0बी0एस0, बी0एस0ई0, डीप0-इन-एड0, एम0एस0 और मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षा-फल, कार्यक्रम, छात्रवृत्ति प्रदान, आदि।	---
भाग-1-ग–शिक्षा संबंधी सूचनाएं, परीक्षाफल आदि	---
भाग-2–बिहार-राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएं और नियम आदि।	13-13
भाग-3–भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं और नियम, 'भारत गजट' और राज्य गजटों के उद्धरण।	---
भाग-4–बिहार अधिनियम	---
भाग-5–बिहार विधान मंडल में पुर:स्थापित विधेयक, उक्त विधान मंडल में उपस्थापित या उपस्थापित किये जानेवाले प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और उक्त विधान मंडल में पुर:स्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।	---
भाग-7–संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की ज्येष्ठ अनुमति मिल चुकी है।	---
भाग-8–भारत की संसद में पुर:स्थापित विधेयक, संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में पुर:स्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।	---
भाग-9–विज्ञापन	---
भाग-9-क–वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं	---
भाग-9-ख–निविदा सूचनाएं, परिवहन सूचनाएं, न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण सूचनाएं इत्यादि।	14-14
पूरक	---
पूरक-क	15-28

भाग–1

नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं।

जल संसाधन विभाग

अधिसूचना

25 अप्रील 2019

सं0 7/एम–1–1038/97–867––लोक निर्माण विभाग के परिपत्र सं0–11380 दिनांक 31.05.71 के अनुसरण में जल संसाधन विभाग के लिए गठित परीक्षा समिति की अनुशंसा के आलोक में जल संसाधन विभाग, बिहार अंतर्गत निम्नांकित अभियंताओं (असैनिक) को दिनांक 17.02.19 से 18.02.19 तक आयोजित द्वितीय अर्द्धवार्षिक व्यवसायिक परीक्षा 2018 में उत्तीर्ण घोषित किया जाता हैः–

क्र0 सं0	नाम/पदनाम	पदस्थापन	अनुक्रमांक	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	ई0 नीरज निराला, सहायक अभियंता	स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्र0–2, नवगछिया, भागलपुर।	1	उत्तीर्ण
2	ई0 ओसामा आलम वारसी, अ0प्र0पदाधिकारी	सारंगपुर, अवर प्रमंडल, गोपालगंज।	3	उत्तीर्ण
3	ई0 सचिन कुमार, सहायक अभियंता	सोन नहर प्रमंडल, आरा।	16	उत्तीर्ण
4	ई0 अमोद कुमार, सहायक अभियंता	पश्चिमी कोशी नहर प्रमंडल, मधुबनी।	20	उत्तीर्ण
5	ई0 सकलदेव महतो, सहायक अभियंता	आयोजन एवं मोनिटरिंग प्रमंडल, नालंदा, बिहारशरीफ।	24	उत्तीर्ण
6	ई0 उपेन्द्र प्रसाद शर्मा, सहायक अभियंता	मुख्य अभियंता कार्यालय, सिंचाई सृजन, जल संसाधन विभाग, भागलपुर।	30	उत्तीर्ण

आदेश से,
दीपक प्रधान, अवर सचिव (प्रबंधन)।

गन्ना उद्योग विभाग

अधिसूचना

10 जून 2019

सं0 01/स्था०–राज०–200/2018–890––बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित 56वीं से 59वीं सम्मिलित संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर प्राप्त अनुशंसा के आलोक में श्री रेमन्त झा, पिता श्री शुभांकात झा, ग्राम+पो0–कैथाही, जिला– मधुबनी, बिहार, संयुक्त मेधा क्रमांक–414, अनुक्रमांक–279650, आरक्षण कोटि–सामान्य को वेतनमान 9300–34800 ग्रेड पे–4800 रू0 (अ०पु०) में बिहार ईख सेवा के अंतर्गत ईख पदाधिकारी के पद पर योगदान की तिथि से परीक्ष्यमान रूप में नियुक्त किया जाता हैं।

2. अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से 30 दिनों के अन्दर आप निश्चित रूप से योगदान देना सुनिश्चित करेंगे, अन्यथा यह समझा जायेगा कि आप योगदान करने के इच्छुक नहीं है और ऐसी स्थिति में आपकी नियुक्ति स्वतः रद्द समझी जायेगी।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
डॉ० जवाहर लाल सिन्हा, संयुक्त सचिव।

ग्रामीण विकास विभाग

अधिसूचना

28 मई 2019

सं0 ग्रा0वि0-14(सा0)सि0-01/2018-425944--श्री राकेश कुमार चौबे, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, हुसैनगंज, जिला-सिवान के विरूद्ध जिला पदाधिकारी, सिवान के पत्रांक-230-I दिनांक 23.11.2018 द्वारा श्री जगलाल साहु, सेवानिवृत पंचायत सचिव को सेवानिवृति के दो वर्ष बीत जाने के बाद भी बकाया वेतन कुल मो0 रू0 17778/- का भुगतान लंबित रखने के आरोप में माननीय सदस्य (न्यायिक) लोकायुक्त, बिहार, पटना के आदेश के आलोक में आरोप पत्र गठित कर विभाग को उपलब्ध कराया गया।

श्री चौबे से उनके विरूद्ध गठित आरोप पत्र में वर्णित आरोपों पर बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 17 (4) के तहत बचाव के लिखित अभिकथन की माँग की गई। श्री चौबे द्वारा उनके पत्रांक 906 दिनांक 22.05.2019 से स्पष्टीकरण/लिखित अभिकथन समर्पित किया गया। उन्होंने अपने लिखित अभिकथन में उल्लेख किया है कि श्री जगलाल साहु, सेवानिवृत पंचायत सचिव के सभी सेवान्त लाभ का भुगतान उनके पदस्थापन के पूर्व ही किया जा चुका था। श्री जगलाल साहु, सेवानिवृत पंचायत सचिव दिनांक 31.01.2014 को सेवानिवृत हो चुके थे एवं श्री चौबे का पदस्थापन प्रखंड विकास पदाधिकारी, हुसैनगंज के पद पर दिनांक 14.05.2015 को हुआ।

उन्होंने स्पष्टीकरण में यह कहा है कि पदस्थापन के उपरांत श्री जगलाल साहु, सेवानिवृत पंचायत सचिव के शेष बकाया राशि के दावे के संबंध में उन्हें कोई जानकारी नहीं थी। श्री साहु के बकाया महंगाई भत्ता (जनवरी 2012 से मार्च 2012 तक, राशि 5740/-) एवं हडताल अवधि का वेतन (दिनांक 14.01.2009 से 31.01.2009 तक, राशि 12300/-) का भुगतान लंबित होने के संबंध में संज्ञान में आते ही त्वरित कार्रवाई कर उक्त राशि का भुगतान क्रमशः विपत्र संख्या- 167/2015-16 एवं 139/2016-17 के अंतर्गत किया गया।

श्री चौबे के द्वारा समर्पित लिखित अभिकथन एवं साक्ष्यों के परिशीलन से यह ज्ञात होता है कि श्री जगलाल साहु के बकाया महंगाई भत्ते एवं हडताल अवधि के वेतन का भुगतान क्रमशः दिनांक 19.03.2016 एवं 15.05.2017 को कर दिया गया। इनके कार्य काल में श्री साहु का सेवान्त लाभ लंबित नहीं था। इनके द्वारा सेवा निवृत कर्मी के बकाये वेतन का भुगतान किया गया तथापि भुगतान में अनावश्यक विलंब हुआ। इस प्रकार इनके द्वारा कार्य के प्रति लापरवाही एवं उदासीनता बरती गयी।

अतएव सम्यक् विचारोपरान्त श्री चौबे द्वारा बरती गयी लापरवाही एवं विलंब के प्रमाणित आरोपों के लिए इन्हें चेतावनी का दंड दिया जाता है।

2) श्री चौबे को अधिरोपित उक्त शास्ति को इनके चारित्री में दर्ज की जाय।

3) उक्त आदेश पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
राधा किशोर झा, संयुक्त सचिव।

सामान्य प्रशासन विभाग

अधिसूचनाएं

1 अप्रैल 2019

सं0 1/पी0–1001/2016(खण्ड–2)सा0प्र0–4392––श्री उदय कुमार सिंह, भा0प्र0से0 (बी एच : 2007), अपर सचिव, पर्यटन विभाग, बिहार, पटना (अतिरिक्त प्रभार–निदेशक, पर्यटन, बिहार, पटना) अगले आदेश तक ईखायुक्त, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना के अतिरिक्त प्रभार में भी रहेंगे।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
शिवमहादेव प्रसाद, अवर सचिव।

---

3 अप्रैल 2019

सं0 1/पी0–1001/2019–सा0प्र0–4540––श्री चन्द्रशेखर सिंह,भा0प्र0से0(2006), समाहर्त्ता एवं जिला पदाधिकारी, समस्तीपुर(अतिरिक्त प्रभार–बंदोबस्त पदाधिकारी, समस्तीपुर) को स्थानांतरित करते हुए संयुक्त सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्राण विभाग, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

सं0 1/पी0–1001/2019–सा0प्र0–4541––श्री दिवेश सेहरा,भा0प्र0से0(2005), प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य अनुसूचित जाति सहकारिता विकास निगम, पटना (अतिरिक्त प्रभार–विशेष सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना) को स्थानांतरित करते हुए समाहर्त्ता एवं जिला पदाधिकारी, समस्तीपुर के पद पर पदस्थापित किया जाता है और दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (एक्ट–2, 1974) की धारा–20 के तहत उन्हें समस्तीपुर जिला का जिला दण्डाधिकारी भी नियुक्त किया जाता है।

2. श्री दिवेश सेहरा अगले आदेश तक बंदोबस्त पदाधिकारी, समस्तीपुर के अतिरिक्त प्रभार में भी रहेंगे।

सं0 1/पी0–1001/2019–सा0प्र0–4542––श्री प्रेम सिंह मीणा, भा0प्र0से0 (2000), सचिव, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना (अतिरिक्त प्रभार– सचिव, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, बिहार, पटना) अगले आदेश तक प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य अनुसूचित जाति सहकारिता विकास निगम, पटना के अतिरिक्त प्रभार में भी रहेंगे।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
कन्हैया लाल साह, अवर सचिव।

---

4 अप्रैल 2019

सं0 1/अ0–1004/2019–सा0प्र0–4660––स्व0 दुर्गेश नन्दन, भा0प्र0से0(2005), तत्कालीन सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना को अखिल भारतीय सेवा (अवकाश) नियमावली,1955 के नियम–12,13 एवं 20 के अधीन दिनांक 01.01.2019 से दिनांक 17.01.2019 तक कुल 17 दिनों के रूपांतरित अवकाश (34 दिनों के अर्द्धवैतनिक अवकाश के बदले) की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
कन्हैया लाल साह, अवर सचिव।

---

5 अप्रैल 2019

सं0 1/पी0–1025/2011–सा0प्र0–4784––राज्य में प्रतिनियुक्ति के आधार पर कार्यरत पदाधिकारी–श्री आर0एस0 श्रीवास्तव, आई0आर0एस0 (95), निवेश आयुक्त, मुम्बई (अतिरिक्त प्रभार– प्रबंध निदेशक, बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार–बियाडा/प्रबंध निदेशक, आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार, पटना) की राज्य प्रतिनियुक्ति अवधि को उनके पैतृक विभाग–राजस्व विभाग, वित्त मंत्राालय, भारत सरकार, नई दिल्ली से प्राप्त सहमति के आलोक में दिनांक–07.05.2019 के प्रभाव से अगले दो (02) वर्षों के लिए अर्थात, दिनांक– 06.05.2021 तक विस्तारित की जाती है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
कन्हैया लाल साह, अवर सचिव।

---

8 अप्रैल 2019

सं0 1/पी0–1001/2016(खण्ड–2) सा0प्र0–4816––श्री अरविन्द कुमार चौधरी,भा0प्र0से0 (95), सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना (अतिरिक्त प्रभार–परीक्षा नियंत्रक, बिहार राज्य संयुक्त प्रवेश परीक्षा पर्षद्, पटना) अगले आदेश तक परियोजना निदेशक, बिहार ग्रामीण जीवकोपार्जन परियोजना एवं राज्य मिशन निदेशक, राज्य ग्रामीण जीविकोपार्जन मिशन–सह–आयुक्त स्वरोजगार, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना के अतिरिक्त प्रभार में भी रहेंगे।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
कन्हैया लाल साह, अवर सचिव।

---

8 अप्रैल 2019

सं0 1/पी0–1004/2018–सा0प्र0–4818––श्री त्रिपुरारि शरण, भा0प्र0से0(85), अपर मुख्य सचिव, उद्योग विभाग, बिहार, पटना अगले आदेश तक मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, बिहार फाउण्डेशन एवं प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य औद्योगिक विकास निगम, पटना के अतिरिक्त प्रभार में भी रहेंगे।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
कन्हैया लाल साह, अवर सचिव।

---

9 अप्रैल 2019

सं0 1/पी0–1001/2019–सा0प्र0–4923––डॉ0 रणजीत कुमार सिंह,भा0प्र0से0(जी जे : 2008), समाहर्त्ता एवं जिला पदाधिकारी, सीतामढ़ी (अतिरिक्त प्रभार–बंदोबस्त पदाधिकारी, सीतामढ़ी) को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक अपर सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

सं0 1/पी0–1001/2019–सा0प्र0–4924––श्री रामचन्द्रुडु, भा0प्र0से0(2009), अपर सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक समाहर्त्ता एवं जिला पदाधिकारी, सीतामढ़ी के पद पर पदस्थापित

किया जाता है और दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (एक्ट–2, 1974) की धारा–20 के तहत उन्हें सीतामढ़ी जिला का जिला दण्डाधिकारी भी नियुक्त किया जाता है।

2. श्री रामचन्द्रुडु अगले आदेश तक बंदोबस्त पदाधिकारी, सीतामढ़ी के अतिरिक्त प्रभार में भी रहेंगे।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
कन्हैया लाल साह, अवर सचिव।

———

10 अप्रैल 2019

सं0 1/पी0–1001/2011–सा0प्र0–4935––श्रीमती हरजोत कौर बम्हरा, भा0प्र0से0 (92), प्रधान सचिव, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना (अतिरिक्त प्रभार– प्रधान सचिव–सह–खान आयुक्त, खान एवं भूतत्व विभाग, बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड, पटना/निदेशक, खान एवं भूतत्व) अगले आदेश तक प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य खनन निगम लिमिटेड के अतिरिक्त प्रभार में भी रहेंगी।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
कन्हैया लाल साह, अवर सचिव।

———

10 अप्रैल 2019

सं0 1/अ0–29/2008–सा0प्र0–**4973**––श्री आदेश तितरमारे, भा0प्र0से0 (2006), निदेशक, कृषि, बिहार, पटना को अखिल भारतीय सेवा (अवकाश) नियमावली–1955 के नियम–10,11 एवं 20 के अधीन निजी खर्च पर निजी कार्य के लिए यूनाईटेड किंगडम एवं आयरलैंड की विदेश यात्राा हेतु दिनांक–01 एवं 02.06.2019 के सार्वजनिक अवकाशों का उपभोग छुट्टी के आरंभ में तथा दिनांक–15 एवं 16.06.2019 के सार्वजनिक अवकाशों का उपभोग छुट्टी के अंत में करने की अनुमति के साथ दिनांक–03.06.2019 से 14.06.2019 तक कुल 12 दिनों के उपार्जित अवकाश की स्वीकृति एक्स–इंडिया लीव के रुप में प्रदान की जाती है।

2. श्री आदेश तितरमारे की अनुपस्थिति अवधि में उनके द्वारा धारित पद– निदेशक, कृषि, बिहार, पटना के प्रभार में श्री विनोद सिंह गुंजियाल, भा0प्र0से0(2007), निदेशक, पशुपालन, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना (अतिरिक्त प्रभार– निदेशक, मत्स्य, बिहार, पटना) रहेंगे।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
कन्हैया लाल साह, अवर सचिव।

———

22 अप्रैल 2019

सं0 1/अ0–1005/2015–सा0प्र0–**5371**––श्री चैतन्य प्रसाद, भा0प्र0से0 (90), प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना (अतिरिक्त प्रभार– प्रधान सचिव, संसदीय कार्य विभाग/प्रबंध निदेशक, पटना मेट्रो रेल निगम लिमिटेड, पटना) को विभागीय पत्राांक–5367 दिनांक–22.04.2019 द्वारा डोमेस्टिक फंडिंग और फॉरेन ट्रेनिंग के तहत हार्वर्ड विश्वविद्यालय, अमेरिका में 'इमर्जिग लीडर्स' विषय पर दिनांक–05.05.2019 से 10.05.2019 तक आयोजित कार्यक्रम में भाग लेने की अनुमति प्रदत्त है।

साथ ही, उपर्युक्त कार्यक्रम में भाग लेने के उपरान्त विभागीय पत्राांक–1/अ0–1005/2015–सा0प्र0–5370 दिनांक 22.04.2019 द्वारा अमेरिका में वैयक्तिक व्यय पर निजी प्रवास हेतु दिनांक 11–12.05.2019 के साप्ताहिक अवकाशों के साथ दिनांक–13–16.05.2019 तक के लिए 04 दिनों के आकस्मिक अवकाश की एक्स– इंडिया लीव के रूप में उपभोग की स्वीकृति भी उन्हें प्रदान की गयी है।

2. श्री चैतन्य प्रसाद की आलोच्य अनुपस्थिति अवधि में श्री एस0 सिद्धार्थ, भा0प्र0से0 (91), प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना, श्री चैतन्य प्रसाद द्वारा धारित पद/दायित्वों के अतिरिक्त प्रभार में भी रहेंगे।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
कन्हैया लाल साह, अवर सचिव।

———

3 मई 2019

सं0 1/अ0–1008/2018–सा0प्र0–**5824**––श्री केशव रंजन प्रसाद, भा0प्र0से0 (2006), सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना को अखिल भारतीय सेवा (अवकाश) नियमावली–1955 के नियम–10,11 एवं 20 के अधीन निजी खर्च पर निजी कार्य के लिए आस्ट्रेलिया की विदेश यात्राा हेतु दिनांक–06.07.2019 से 31.07.2019 तक कुल 26 दिनों के उपार्जित अवकाश की स्वीकृति एक्स–इंडिया लीव के रुप में प्रदान की जाती है।

2. श्री केशव रंजन प्रसाद की उक्त छुट्टी अवधि में उनके प्रभार हेतु आंतरिक व्यवस्था बिहार लोक सेवा आयोग, पटना द्वारा की जायेगी।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
कन्हैया लाल साह, अवर सचिव।

7 मई 2019

सं0 1/पी0–1001/2016(खण्ड–2)सा0प्र0–6019––श्री एस0 शिवकुमार, भा0प्र0से0 (बी एच : 1987), (केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति से वापस होने के पश्चात् सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना में योगदान देने के उपरान्त पदस्थापन की प्रतीक्षा में) को अगले आदेश तक अपर सदस्य, राजस्व पर्षद्, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
कन्हैया लाल साह, अवर सचिव।

———

7 मई 2019

सं0 1/सी0–1014/2018–सा0प्र0–6020––लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी में प्रथम चरण (फेज–I) के व्यावसायिक प्रशिक्षण सत्र की समाप्ति पर भारतीय प्रशासनिक सेवा के वर्ष,2018 बैच के परीक्ष्यमान पदाधिकारियों को उनके द्वारा राज्य सरकार के अधीन पदभार ग्रहण की तिथि से जिला प्रशिक्षण हेतु उनके नाम के समक्ष अंकित जिला में सहायक समाहर्त्ता एवं सहायक दंडाधिकारी के रूप में पदस्थापित किया जाता है :–

क्र.	पदाधिकारी का नाम एवं बैच	पदस्थापन से संबंधित जिला
1	श्री काथवते मयुर अशोक (2018)	गया
2	श्री वैभव श्रीवास्तव (2018)	सारण
3	श्री शेखर आनन्द (2018)	किशनगंज
4	श्री निखिल धनराज निप्पणीकर (2018)	बेगूसराय
5	श्री अंशुल सिंह (2018)	रोहतास
6	श्री नितिन कुमार सिंह (2018)	नालन्दा
7	सुश्री अम्रिषा बैन्स (2018)	वैशाली
8	श्री अभिषेक रंजन (2018)	बाँका

2. साथ ही, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (एक्ट 2, 1974) की धारा–20 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के अधीन उपर्युक्त पदाधिकारियों को उनके नाम के समक्ष अंकित जिला के लिए कार्यपालक दंडाधिकारी नियुक्ति किया जाता है। इन सभी पदाधिकारियों को दंड प्रक्रिया संहिता 1973 (एक्ट 2, 1974) की धारा–144 के अंतर्गत भी शक्तियाँ प्रदान की जाती है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
कन्हैया लाल साह, अवर सचिव।

———

10 मई 2019

सं0 1/अ0–1023/2016–सा0प्र0–6399––श्री अमित कुमार, भा0प्र0से0 (2012), प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम, पटना (अतिरिक्त प्रभार–संयुक्त सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना) को अखिल भारतीय सेवा (अवकाश) नियमावली,1955 के नियम–18 बी के अधीन दिनांक 09.05.2019 से 16.05.2019 तक कुल 08 दिनों के पितृत्व अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. श्री अमित कुमार की उक्त अनुपस्थिति अवधि में उनके प्रभार हेतु आंतरिक व्यवस्था भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना द्वारा की जायेगी।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
कन्हैया लाल साह, अवर सचिव।

———

15 मई 2019

सं0 1/अ0–1006/2017–सा0प्र0–6520––श्री अभिषेक सिंह, भा0प्र0से0(टी आरः2006), जिला पदाधिकारी, गया को अखिल भारतीय सेवा (अवकाश) नियमावली,1955 के नियम–10,11 एवं 20 के अधीन दिनांक–28.05.2019 से 06.06.2019 तक कुल 10 दिनों के उपार्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. श्री अभिषेक सिंह की अनुपस्थिति अवधि में उनके द्वारा धारित पद– जिला पदाधिकारी, गया के प्रभार में श्री राज कुमार सिन्हा, बि0प्र0से0, अपर समाहर्त्ता, गया रहेंगे।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
कन्हैया लाल साह, अवर सचिव।

———

21 मई 2019

सं0 1/अ0–1006/2019–सा0प्र0–6802––श्री रवि प्रकाश, भा0प्र0से0(बी एच : 2016), अनुमंडल पदाधिकारी, फारबिसगंज, अररिया को अखिल भारतीय सेवा (अवकाश) नियमावली–1955 के नियम–10,11 एवं 20 के अधीन निजी खर्च पर निजी कार्य के लिए यूरोप (इटली, ऑस्ट्रिया, जर्मनी, बेल्जियम, स्वीट्जरलैण्ड, फ्रांस) की विदेश यात्रा हेतु दिनांक 07.06.2019 से 19.06.2019 तक कुल 14 दिनों के उपार्जित अवकाश की स्वीकृति एक्स–इंडिया लीव के रुप में प्रदान की जाती है।

2. श्री रवि प्रकाश की उक्त अनुपस्थिति अवधि में उनके द्वारा धारित पद–अनुमंडल पदाधिकारी, फारबिसगंज, अररिया के प्रभार में श्री युनुस अंसारी, बि0प्र0से0, भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, फारबिसगंज रहेंगे।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
कन्हैया लाल साह, अवर सचिव।

———

24 मई 2019

सं0 1/अ0–1007/2015–सा0प्र0–7042––श्री नवदीप शुक्ला, भा0प्र0से0 (2013), जिला पदाधिकारी, मधेपुरा को अखिल भारतीय सेवा (अवकाश) नियमावली,1955 के नियम–18 बी के अधीन दिनांक 28.05.2019 से 11.06.2019 तक कुल 15 दिनों के पितृत्व अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. श्री नवदीप शुक्ला की उक्त अनुपस्थिति अवधि में उनके द्वारा धारित पद–जिला पदाधिकारी, मधेपुरा के प्रभार में श्री विनोद प्रसाद सिंह, बि0प्र0से0, को0क्र0–783/11, उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्, मधेपुरा रहेंगे।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
कन्हैया लाल साह, अवर सचिव।

———

28 मई 2019

सं0 1/पी0–1004/2018–सा0प्र0–7234––श्री दिवेश सेहरा, भा0प्र0से0 (2005), समाहर्त्ता एवं जिला पदाधिकारी, समस्तीपुर(अतिरिक्त प्रभार–बंदोबस्त पदाधिकारी, समस्तीपुर) को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य अनुसूचित जाति सहकारिता विकास निगम, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

2. श्री दिवेश सेहरा अगले आदेश तक विशेष सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के अतिरिक्त प्रभार में भी रहेंगे।

सं0 1/पी0–1004/2018–सा0प्र0–7235––श्री चन्द्रशेखर सिंह, भा0प्र0से0(2006), संयुक्त सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्राण विभाग, बिहार, पटना को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक समाहर्त्ता एवं जिला पदाधिकारी, समस्तीपुर के पद पर पदस्थापित किया जाता है और दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (एक्ट–2, 1974) की धारा–20 के तहत उन्हें समस्तीपुर जिला का जिला दण्डाधिकारी भी नियुक्त किया जाता है।

2. श्री चन्द्रशेखर सिंह अगले आदेश तक बंदोबस्त पदाधिकारी, समस्तीपुर के अतिरिक्त प्रभार में भी रहेंगे।

सं0 1/पी0–1004/2018–सा0प्र0–7236––श्री दीपक आनन्द, भा0प्र0से0 (2007) (सम्प्रति सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना में योगदान देकर पदस्थापन की प्रतीक्षा में) को अगले आदेश तक अपर सचिव, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

सं0 1/पी0–1001/2018–सा0प्र0–7237––श्री एम0 रामचन्द्रुडु, भा0प्र0से0 (2009), समाहर्त्ता एवं जिला पदाधिकारी, सीतामढ़ी (अतिरिक्त प्रभार–बंदोबस्त पदाधिकारी, सीतामढ़ी) को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक अपर सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

सं0 1/पी0–1004/2018–सा0प्र0–7238––डॉ0 रणजीत कुमार सिंह, भा0प्र0से0 (जी जेः 2008), अपर सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक समाहर्त्ता एवं जिला पदाधिकारी, सीतामढ़ी के पद पर पदस्थापित किया जाता है और दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (एक्ट–2, 1974) की धारा–20 के तहत उन्हें सीतामढ़ी जिला का जिला दण्डाधिकारी भी नियुक्त किया जाता है।

2. डॉ0 रणजीत कुमार सिंह अगले आदेश तक बंदोबस्त पदाधिकारी, सीतामढ़ी के अतिरिक्त प्रभार में भी रहेंगे।

सं0 1/पी0–1004/2018–सा0प्र0–7239––श्री संजीव कुमार, भा0प्र0से0 (2012), समाहर्त्ता एवं जिला पदाधिकारी, भोजपुर, आरा (अतिरिक्त प्रभार–बंदोबस्त पदाधिकारी, भोजपुर, आरा) को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक निदेशक, विज्ञान एवं प्रावैधिकी, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

सं0 1/पी0–1004/2018–सा0प्र0–7240––श्री रोशन कुशवाहा, भा0प्र0से0(2014), उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्, वैशाली, हाजीपुर को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक समाहर्त्ता एवं जिला पदाधिकारी, भोजपुर, आरा के पद पर पदस्थापित किया जाता है और दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (एक्ट–2, 1974) की धारा–20 के तहत उन्हें भोजपुर, आरा जिला का जिला दण्डाधिकारी भी नियुक्त किया जाता है।

2. श्री रोशन कुशवाहा अगले आदेश तक बंदोबस्त पदाधिकारी, भोजपुर, आरा के अतिरिक्त प्रभार में भी रहेंगे।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
कन्हैया लाल साह, अवर सचिव।

———

31 मई 2019

सं0 1/अ0–1023/2014–सा0प्र0–7450/श्री शीर्षत कपिल अशोक,भा0प्र0से0(2011), जिला पदाधिकारी, मधुबनी को अखिल भारतीय सेवा (अवकाश) नियमावली,1955 के नियम–10,11 एवं 20 के अधीन दिनांक–02.06.2019 से 16.06.2019 तक कुल 15 दिनों के उपार्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. श्री शीर्षत कपिल अशोक की आलोच्य अनुपस्थिति अवधि में श्री दुर्गानन्द झा, बि0प्र0से0, अपर समाहर्त्ता, मधुबनी अपने सभी कार्यो के अतिरिक्त जिला पदाधिकारी, मधुबनी के प्रभार में रहेंगे।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
कन्हैया लाल साह, अवर सचिव।

———

1 जून 2019

सं0 1/प्र0वि0–1002/2018–सा0प्र0–7464––श्री विवेक कुमार सिंह, भा0प्र0से0 (89), राज्यपाल के प्रधान सचिव, बिहार, पटना को हार्वर्ड विश्वविद्यालय, अमेरिका में प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु दिनांक 09.06.2019 से दिनांक 14.06.2019 तक विदेश यात्रा की अनुमति विभागीय पत्रांक–4482 दिनांक 02.04.2019 के द्वारा प्रदान की गयी थी।

2. तदुपरान्त, श्री विवेक कुमार सिंह को कार्यहित एवं राज्यहित में दिनांक 01.06.2019 को अमेरिका के लिए प्रस्थान करने तथा दिनांक 23.06.2019 को इंगलैंड के रास्ते वापस आने की अनुमति महामहिम राज्यपाल द्वारा प्रदान की गयी है।

3. अतएव, श्री विवेक कुमार सिंह, भा0प्र0से0 (89), राज्यपाल के प्रधान सचिव, बिहार, पटना की प्रासंगिक अनुपस्थिति अवधि (ऊपर की कंडिका–2 की अवधि) में उनके द्वारा धारित उक्त पद का अतिरिक्त प्रभार श्री आर0के0 महाजन, भा0प्र0से0(87), अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना (अतिरिक्त प्रभार–स्थानिक आयुक्त, नई दिल्ली के कार्यालय में विशेष कार्य पदाधिकारी/ निगरानी विभाग, बिहार, पटना) को प्रदान किया जाता है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
सिद्धेश्वर चौधरी, अवर सचिव।

———

6 जून 2019

सं0 1/अ0–1010/2016–सा0प्र0–7656––श्री प्रदीप कुमार झा, भा0प्र0से0 (एम0एन0:2006), जिला पदाधिकारी, पूर्णिया को अखिल भारतीय सेवा (अवकाश) नियमावली–1955 के नियम–10,11 एवं 20 के अधीन दिनांक–06.06.2019 से 15.06.2019 तक कुल 10(दस) दिनों के उपार्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. श्री प्रदीप कुमार झा की प्रासंगिक अनुपस्थिति अवधि में श्री अमन समीर, भा0प्र0से0 (2015), उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्, पूर्णिया अपने सभी कार्यों के अतिरिक्त जिला पदाधिकारी, पूर्णिया के प्रभार में भी रहेंगे।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
कन्हैया लाल साह, अवर सचिव।

———

7 जून 2019

सं0 1/अ0–07/2011–सा0प्र0–7681––श्रीमती रचना पाटिल, भा0प्र0से0 (2010), निबंधक, सहयोग समितियाँ, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना (अतिरिक्त प्रभार– अपर सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना) को अखिल भारतीय सेवा(अवकाश) नियमावली–1955 के नियम–10,11 एवं 20 के अधीन दिनांक–03.06.2019 से 21.06.2019 तक कुल 19 दिनों के उपार्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. श्रीमती रचना पाटिल की आलोच्य अनुपस्थिति अवधि में श्री विनोद सिंह गुंजियाल, भा0प्र0से0 (2007), निदेशक, पशुपालन, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना (अतिरिक्त प्रभार– निदेशक, मत्स्य, बिहार, पटना), श्रीमती रचना पाटिल द्वारा धारित पद/दायित्वों के अतिरिक्त प्रभार में भी रहेंगे।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
कन्हैया लाल साह, अवर सचिव।

———

10 जून 2019

सं0 1/पी0–1001/2016(खण्ड–2)सा0प्र0–7758––श्रीमती उदिता सिंह, भा0प्र0से0 (2014), संयुक्त सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक संयुक्त सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
कन्हैया लाल साह, अवर सचिव।

———

10 जून 2019

सं0 1/पी0–1004/2018–सा0प्र0–7750––श्री त्रिपुरारि शरण, भा0प्र0से0 (85), अपर मुख्य सचिव, उद्योग विभाग, बिहार, पटना (अतिरिक्त प्रभार–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, बिहार फाउण्डेशन / प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य औद्योगिक विकास निगम, पटना) को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक अध्यक्ष–सह–सदस्य, राजस्व पर्षद्, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

सं0 1/पी0–1004/2018–सा0प्र0–7751––श्रीमती वन्दना किनी, भा0प्र0से0(89), आयुक्त, भागलपुर प्रमण्डल, भागलपुर अगले आदेश तक आयुक्त, मुंगेर प्रमण्डल, मुंगेर के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगी।

सं0 1/पी0–1004/2018–सा0प्र0–7752––श्रीमती सफीना ए0एन0, भा0प्र0से0(97), आयुक्त, पूर्णिया प्रमण्डल, पूर्णिया अगले आदेश तक आयुक्त, कोसी प्रमण्डल, सहरसा के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगी।

सं0 1/पी0–1004/2018–सा0प्र0–7753––श्री नर्मदेश्वर लाल, भा0प्र0से0(98), आयुक्त, तिरहुत प्रमण्डल, मुजफ्फरपुर अगले आदेश तक आयुक्त, सारण प्रमण्डल, छपरा के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे।

सं0 1/पी0–1004/2018–सा0प्र0–7754––श्री पंकज कुमार पाल, भा0प्र0से0 (2002), आयुक्त, मुंगेर प्रमण्डल, मुंगेर को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक आयुक्त, मगध प्रमण्डल, गया के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

सं0 1/पी0–1004/2018–सा0प्र0–7755––श्री असंगबा चुबा आओ, भा0प्र0से0 (2003), आयुक्त, कोसी प्रमण्डल, सहरसा को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

2. श्री असंगबा चुबा आओ अगले आदेश तक मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, बिहार स्वास्थ्य सुरक्षा समिति, पटना के अतिरिक्त प्रभार में भी रहेंगे।

सं0 1/पी0–1004/2018–सा0प्र0–7756––श्री लोकेश कुमार सिंह, भा0प्र0से0 (2003), आयुक्त, सारण प्रमण्डल, छपरा को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक सचिव, उद्योग विभाग, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

2. श्री लोकेश कुमार सिंह अगले आदेश तक प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य औद्योगिक विकास निगम, पटना के अतिरिक्त प्रभार में भी रहेंगे।

सं0 1/पी0–1004/2018–सा0प्र0–7757––श्री आर0एस0 श्रीवास्तव, आई0आर0एस0(95), निवेश आयुक्त, मुम्बई {अतिरिक्त प्रभार–बिहार औद्योगिक क्षेत्रा विकास प्राधिकार (बियाडा)/प्रबंध निदेशक, आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार, पटना अगले आदेश तक मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, बिहार फाउण्डेशन, पटना के प्रभार में भी रहेंगे।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
कन्हैया लाल साह, अवर सचिव।

———

11 जून 2019

सं0 1/अनि0प्र0–1007/2014(खण्ड)–सा0प्र0–7784––दिनांक 17.06.2019 से 05.07.2019 तक लाल बहादुर शास्त्राी राष्ट्रीय प्रशिक्षण अकादमी, मसूरी में भा0प्र0से0 पदाधिकारियों के लिए प्रस्तावित सेवाकालीन प्रशिक्षण चरण–v में भाग लेने वाले पदाधिकारियों द्वारा धारित पद/प्रभार के लिए वैकल्पिक व्यवस्था निम्नवत् की जाती है:–

क्र.	प्रशिक्षण के नामित पदाधिकारी का नाम एवं बैच	प्रशिक्षण के लिए नामित पदाधिकारियों द्वारा धारित पद/प्रभार	प्रभार की वैकल्पिक व्यवस्था से सम्बद्ध पदाधिकारी का नाम एवं पदनाम
1	श्री ब्रजेश मेहरोत्रा (89)	मूल प्रभार–प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग (अतिरिक्त प्रभार–निदेशक, चकंबदी, बिहार/ जॉच आयुक्त) (रंगे हाथ पकड़े गये मामलों–ट्रैप केसेज हेतु), सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना	श्री प्रत्यय अमृत (91), प्रधान सचिव, ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना
2	श्री अमृत लाल मीणा (89)	प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग/ अतिरिक्त प्रभार–प्रधान सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना	(i) **पथ निर्माण विभाग**–श्री विनय कुमार (99), सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना (ii) **पंचायती राज विभाग**–श्री अरविन्द कुमार चौधरी (95), सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
कन्हैया लाल साह, अवर सचिव।

————

11 जून 2019

सं0 1/पी0–1001/2019–सा0प्र0– 7803/श्री बालामुरुगन डी, भा0प्र0से0 (2005), अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, निर्वाचन विभाग, बिहार, पटना को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक परियोजना निदेशक, बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन परियोजना, पटना/राज्य मिशन निदेशक, राज्य ग्रामीण जीविकोपार्जन मिशन–सह–आयुक्त, स्वरोजगार, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

2. श्री बालामुरुगन डी अगले आदेश तक विशेष सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना के अतिरिक्त प्रभार में भी रहेंगे।

सं0 1/पी0–1001/2019–सा0प्र0–7804/श्री संजय कुमार सिंह,भा0प्र0से0(2007), अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, निर्वाचन विभाग, बिहार, पटना को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक राज्य परियोजना निदेशक, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद्, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
शिवमहादेव प्रसाद, अवर सचिव।

———

11 जून 2019

सं0 1/सी0–03/2012(खण्ड)–सा0प्र0–7814––भारतीय प्रशासनिक सेवा के निम्नलिखित पदाधिकारियों को उनके नाम के सामने अंकित तिथि से कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड (अपर सचिव स्तर–वेतन स्तर–12–₹78,800.2,09,200/-) में प्रोन्नति प्रदान की जाती है:–

क्र.	पदाधिकारी का नाम एवं बैच	वर्तमान पदस्थापन/प्रभार	अपर सचिव स्तर में प्रोन्नति प्रदान किये जाने की तिथि
1	श्री सांवर भारती (2005)	संयुक्त सचिव, सांस्थिक वित्त शाखा, वित्त विभाग, बिहार, पटना(अतिरिक्त प्रभार– सचिव, बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, आपदा प्रबंधन विभाग,बिहार, पटना)	दिनांक–01.01.2014 अथवा राज्य असैनिक सेवा से बिहार संवर्ग के भा0प्र0से0 में नियुक्ति के पश्चात् भा0प्र0से0 का पद ग्रहण किये जाने की तिथि से **जो बाद में हो।**
2	श्री (मो0) मंजूर अली(2005)	संयुक्त सचिव, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना	दिनांक–01.01.2014 अथवा राज्य असैनिक सेवा से बिहार संवर्ग के भा0प्र0से0 में नियुक्ति के पश्चात् भा0प्र0से0 का पद ग्रहण किये जाने की तिथि से **जो बाद में हो।**
3	स्व0 दुर्गेश नन्दन (2005)	**दिनांक 17.01.2019 को दिवंगत**	दिनांक–01.01.2014 अथवा राज्य असैनिक सेवा से बिहार संवर्ग के भा0प्र0से0 में नियुक्ति के पश्चात् भा0प्र0से0 का पद ग्रहण किये जाने की तिथि से **जो बाद में हो।**
4	श्री राधा किशोर झा (2005)	संयुक्त सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना	दिनांक–01.01.2014 अथवा राज्य असैनिक सेवा से बिहार संवर्ग के भा0प्र0से0 में नियुक्ति के पश्चात् भा0प्र0से0 का पद ग्रहण किये जाने की तिथि से **जो बाद में हो।**
5	डॉ0 श्यामल किशोर पाठक (2005)	संयुक्त सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना	दिनांक–01.01.2014 अथवा राज्य असैनिक सेवा से बिहार संवर्ग के भा0प्र0से0 में नियुक्ति के पश्चात् भा0प्र0से0 का पद ग्रहण किये जाने की तिथि से **जो बाद में हो।**
6	श्री शिव शंकर मिश्र (2005)	संयुक्त सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना	दिनांक–01.01.2014 अथवा राज्य असैनिक सेवा से बिहार संवर्ग के भा0प्र0से0 में नियुक्ति के पश्चात् भा0प्र0से0 का पद ग्रहण किये जाने की तिथि से **जो बाद में हो।**
7	श्री अरुण प्रकाश (2005)	संयुक्त सचिव, खान एवं भूतत्व विभाग, बिहार, पटना	दिनांक–01.01.2014 अथवा राज्य असैनिक सेवा से बिहार संवर्ग के भा0प्र0से0 में नियुक्ति के पश्चात् भा0प्र0से0 का पद ग्रहण किये जाने की तिथि से **जो बाद में हो।**
8	श्री कुमार अरुण प्रकाश (2005)	संयुक्त सचिव, लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना	दिनांक–01.01.2014 अथवा राज्य असैनिक सेवा से बिहार संवर्ग के भा0प्र0से0 में नियुक्ति के पश्चात् भा0प्र0से0 का पद ग्रहण किये जाने की तिथि से **जो बाद में हो।**
9	श्री भरत कुमार दूबे (2005)	संयुक्त सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना	दिनांक–01.01.2014 अथवा राज्य असैनिक सेवा से बिहार संवर्ग के भा0प्र0से0 में नियुक्ति के पश्चात् भा0प्र0से0 का पद ग्रहण किये जाने की तिथि से **जो बाद में हो।**
10	श्री रत्नेश कुमार (2005)	संयुक्त सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना	दिनांक–01.01.2014 अथवा राज्य असैनिक सेवा से बिहार संवर्ग के भा0प्र0से0 में नियुक्ति के पश्चात् भा0प्र0से0 का पद ग्रहण किये जाने की तिथि से **जो बाद में हो।**

11	श्री विनोद कुमार सिंह (2006)	संयुक्त सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना	दिनांक–01.01.2015 अथवा राज्य असैनिक सेवा से बिहार संवर्ग के भा0प्र0से0 में नियुक्ति के पश्चात् भा0प्र0से0 का पद ग्रहण किये जाने की तिथि से **जो बाद में हो।**
12	श्री केशव रंजन प्रसाद (2006)	सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना	दिनांक–01.01.2015 अथवा राज्य असैनिक सेवा से बिहार संवर्ग के भा0प्र0से0 में नियुक्ति के पश्चात् भा0प्र0से0 का पद ग्रहण किये जाने की तिथि से **जो बाद में हो।**
13	श्री नरेन्द्र कुमार सिन्हा (2006)	संयुक्त सचिव, उद्योग विभाग, बिहार, पटना(अतिरिक्त प्रभार– निदेशक, हस्तकरघा एवं रेशम निदेशालय, पटना)	दिनांक–01.01.2015 अथवा राज्य असैनिक सेवा से बिहार संवर्ग के भा0प्र0से0 में नियुक्ति के पश्चात् भा0प्र0से0 का पद ग्रहण किये जाने की तिथि से **जो बाद में हो।**
14	श्री चन्द्रशेखर सिंह (2006)	समाहर्त्ता एवं जिला पदाधिकारी, समस्तीपुर (अतिरिक्त प्रभार –बंदोबस्त पदाधिकारी, समस्तीपुर)	दिनांक–01.01.2015 अथवा राज्य असैनिक सेवा से बिहार संवर्ग के भा0प्र0से0 में नियुक्ति के पश्चात् भा0प्र0से0 का पद ग्रहण किये जाने की तिथि से **जो बाद में हो।**
15	श्री रंजन कुमार सिन्हा (2006)	संयुक्त सचिव, गृह विभाग, बिहार, पटना	दिनांक–01.01.2015 अथवा राज्य असैनिक सेवा से बिहार संवर्ग के भा0प्र0से0 में नियुक्ति के पश्चात् भा0प्र0से0 का पद ग्रहण किये जाने की तिथि से **जो बाद में हो।**
16	श्री प्रदीप कुमार (2006)	संयुक्त सचिव, अभियोजन निदेशालय, गृह विभाग, बिहार, पटना	दिनांक–01.01.2015 अथवा राज्य असैनिक सेवा से बिहार संवर्ग के भा0प्र0से0 में नियुक्ति के पश्चात् भा0प्र0से0 का पद ग्रहण किये जाने की तिथि से **जो बाद में हो।**
17	श्री अभय राज(2006)	संयुक्त सचिव, मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग, बिहार, पटना	दिनांक–01.01.2015 अथवा राज्य असैनिक सेवा से बिहार संवर्ग के भा0प्र0से0 में नियुक्ति के पश्चात् भा0प्र0से0 का पद ग्रहण किये जाने की तिथि से **जो बाद में हो।**
18	श्री मिथिलेश कुमार (2006)	निदेशक, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना (अतिरिक्त प्रभार–संयुक्त सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना)	दिनांक–01.01.2015 अथवा राज्य असैनिक सेवा से बिहार संवर्ग के भा0प्र0से0 में नियुक्ति के पश्चात् भा0प्र0से0 का पद ग्रहण किये जाने की तिथि से **जो बाद में हो।**
19	श्री विवेकानन्द झा (2006)	मुख्य महाप्रबंधक, बिहार राज्य खाद्य निगम, पटना	दिनांक–01.01.2015 अथवा राज्य असैनिक सेवा से बिहार संवर्ग के भा0प्र0से0 में नियुक्ति के पश्चात् भा0प्र0से0 का पद ग्रहण किये जाने की तिथि से **जो बाद में हो।**
20	श्री अरशद अजीज (2006)	समाहर्त्ता एवं जिला पदाधिकारी, शिवहर (अतिरिक्त प्रभार –बंदोबस्त पदाधिकारी, शिवहर)	दिनांक–01.01.2015 अथवा राज्य असैनिक सेवा से बिहार संवर्ग के भा0प्र0से0 में नियुक्ति के पश्चात् भा0प्र0से0 का पद ग्रहण किये जाने की तिथि से **जो बाद में हो।**
21	श्री शोभेन्द्र कुमार चौधरी (2006)	समाहर्त्ता एवं जिला पदाधिकारी, लखीसराय(अतिरिक्त प्रभार– बंदोबस्त पदाधिकारी, लखीसराय)	दिनांक–01.01.2015 अथवा राज्य असैनिक सेवा से बिहार संवर्ग के भा0प्र0से0 में नियुक्ति के पश्चात् भा0प्र0से0 का पद ग्रहण किये जाने की तिथि से **जो बाद में हो।**
22	श्री हरेन्द्र नाथ दूबे (2006)	संयुक्त सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना	दिनांक–01.01.2015 अथवा राज्य असैनिक सेवा से बिहार संवर्ग के भा0प्र0से0 में नियुक्ति के पश्चात् भा0प्र0से0 का पद ग्रहण किये जाने की तिथि से **जो बाद में हो।**

23	श्री ईश्वर चन्द्र सिन्हा (2006)	संयुक्त सचिव, गृह विभाग, बिहार, पटना (अतिरिक्त प्रभार– निदेशक, सैनिक कल्याण निदेशालय, पटना)	दिनांक–01.01.2015 अथवा राज्य असैनिक सेवा से बिहार संवर्ग के भा0प्र0से0 में नियुक्ति के पश्चात् भा0प्र0से0 का पद ग्रहण किये जाने की तिथि से **जो बाद में हो।**
24	श्री सुरेन्द्र झा (2006)	सचिव, राजस्व पर्षद्, बिहार, पटना	दिनांक–01.01.2015 अथवा राज्य असैनिक सेवा से बिहार संवर्ग के भा0प्र0से0 में नियुक्ति के पश्चात् भा0प्र0से0 का पद ग्रहण किये जाने की तिथि से **जो बाद में हो।**
25	श्री गोरखनाथ (2006)	संयुक्त सचिव, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना	दिनांक–01.01.2015 अथवा राज्य असैनिक सेवा से बिहार संवर्ग के भा0प्र0से0 में नियुक्ति के पश्चात् भा0प्र0से0 का पद ग्रहण किये जाने की तिथि से **जो बाद में हो।**
26	श्री चौधरी अनन्त नारायण (2006)	प्रशासन मुख्य, बिहार राज्य पथ परिवहन निगम (अतिरिक्त प्रभार–संयुक्त सचिव, परिवहन विभाग, बिहार, पटना)	दिनांक–01.01.2015 अथवा राज्य असैनिक सेवा से बिहार संवर्ग के भा0प्र0से0 में नियुक्ति के पश्चात् भा0प्र0से0 का पद ग्रहण किये जाने की तिथि से **जो बाद में हो।**
27	मो0 शमीम (2007)	सचिव. बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग, बिहार, पटना	दिनांक–01.01.2016 अथवा राज्य असैनिक सेवा से बिहार संवर्ग के भा0प्र0से0 में नियुक्ति के पश्चात् भा0प्र0से0 का पद ग्रहण किये जाने की तिथि से **जो बाद में हो।**
28	श्रीमती मधुरानी ठाकुर (2007)	संयुक्त सचिव, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना	दिनांक–01.01.2016 अथवा राज्य असैनिक सेवा से बिहार संवर्ग के भा0प्र0से0 में नियुक्ति के पश्चात् भा0प्र0से0 का पद ग्रहण किये जाने की तिथि से **जो बाद में हो।**
29	मो0 बशीर(2007)	दिनांक को 31.01.2019 सेवानिवृत्त	दिनांक–01.01.2016 अथवा राज्य असैनिक सेवा से बिहार संवर्ग के भा0प्र0से0 में नियुक्ति के पश्चात् भा0प्र0से0 का पद ग्रहण किये जाने की तिथि से **जो बाद में हो।**
30	श्री ईश्वर चन्द्र शर्मा (2007)	दिनांक 28.02.2019 को सेवानिवृत्त	दिनांक–01.01.2016 अथवा राज्य असैनिक सेवा से बिहार संवर्ग के भा0प्र0से0 में नियुक्ति के पश्चात् भा0प्र0से0 का पद ग्रहण किये जाने की तिथि से **जो बाद में हो।**
31	श्री विजय कुमार (2007)	संयुक्त सचिव, राज्यपाल सचिवालय, बिहार, पटना	दिनांक–01.01.2016 अथवा राज्य असैनिक सेवा से बिहार संवर्ग के भा0प्र0से0 में नियुक्ति के पश्चात् भा0प्र0से0 का पद ग्रहण किये जाने की तिथि से **जो बाद में हो।**

2. उपर्युक्त तालिका के क्रमांक–**03,12, 14, 18, 19, 20, 21, 24, 26, 27, 29 एवं 30** को छोड़कर शेष पदाधिकारियों को अपर सचिव के रुप में पदनामित किया जाता है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
कन्हैया लाल साह, अवर सचिव।

———

11 जून 2019

सं0 1/पी0–1005/2013–सा0प्र0–7819––राज्य में प्रतिनियुक्ति के आधार पर कार्यरत केन्द्रीय सिविल सेवा के पदाधिकारी– श्री प्रदीप कुमार, आई0ई0डी0एस0, अपर सचिव, उद्योग विभाग, बिहार, पटना की राज्य प्रतिनियुक्ति अवधि को उनके पैतृक विभाग– सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार , नई दिल्ली से प्राप्त सहमति के आलोक में दिनांक 19.07.2019 के प्रभाव से अगले दो (02) वर्षों के लिए अर्थात्, दिनांक 18.07.2021 तक विस्तारित की जाती है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
कन्हैया लाल साह, अवर सचिव।

———

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट, 13–571+10–डी0टी0पी0।
Website : http : / / egazette . bih . nic . in

भाग–2

बिहार–राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएं और नियम आदि।

सामान्य प्रशासन विभाग

शुद्धि–पत्र

10 अप्रैल 2019

सं0 1/पी0–1001/2019–सा0प्र0–4949—सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या–1/पी0–1001/2019–सा0प्र0–4924–दिनांक 09.04.2019 द्वारा श्री एम. रामचन्द्रुडु, भा0प्र0से0 (2009), आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना को स्थानांतरित करते हुए समाहर्त्ता एवं जिला पदाधिकारी, सीतामढ़ी के पद पर पदस्थापित किया गया है। परन्तु, उक्त अधिसूचना में उनका नाम 'श्री एम. रामचन्द्रुडु' के स्थान पर 'श्री रामचन्द्रुडु' अंकित हो गया है।

2. अतएव, विभागीय अधिसूचना संख्या–1/पी0–1001/2019–सा0प्र0–4924 दिनांक–09.04.2019 में अंकित नाम को 'श्री रामचन्द्रुडु' के स्थान पर 'श्री एम. रामचन्द्रुडु' पढ़ा जाय।

3. विभागीय अधिसूचना संख्या–1/सी0–1001/2019–सा0प्र0–4924 दिनांक–09.04.2019 की शेष स्थितियॉ यथावत रहेंगी।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
कन्हैया लाल साह, अवर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट, 13–571+10–डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in

भाग–9–ख

निविदा सूचनाएं, परिवहन सूचनाएं, न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण सूचनाएं इत्यादि।

सूचना

No. 613---I, Sahil, S/o Rakesh Kumar and Sudha Kumari Gupta, R/o Kokila Niwas, P.S.-K. Hat, Madhubani, Purnea Bihar have change my Name from Sahil to Sahil Gupta vide Affidavit 110/15 before the Executive Magistrate Sadar Purnea and Affidavit 1398/2015 before Notary Public, Purnea. My Indian Passport, Voter Identity Card, Aadhar Card and Pan Card has been issued in Name of Sahil Gupta after submission of above affidavit. I filed a suit in the court of sub-judge I didtrict Purnea Bihar, T.S.-143/2018 Sahil Gupta verses Secretary Central Board Secondary Education Regional Office Patna Bihar for direction to mention the complete name of mine in Central Board Secondary Education Certificate as Shil Gupta.The Sub-Judge. I of Court passed an order dated 02.03.2019 in favour of me for adding surname Gupta after Sahil in the Certificate issued by Central Board of Secondary Education and declared that Sahil and Sahil Gupta mentioned in different document is the name of one and same person vide affidavit no. 8793/19.

Sahil.

सं0 626––मै, छोटे लाल, पिता– श्री राम यतन लाल, अंग्रेजी विभाग, टी0 पी0 एस0 कॉलेज, पटना शपथ पत्र सं0 9128 दिनांक 10.05.2019 के द्वारा अपने नाम के आगे खत्री जोड़कर सभी कार्य हेतु छोटे लाल खत्री के नाम से जाना जाऊँगा।

छोटे लाल।

No. 626--I,Chhote Lal, S/O Sri Ram Yatan Lal, Dept. of English, T P S college, Patna, changed my name to Chhote Lal Khatri vide Afdvt. No. 9128 dated 10.05.2019. Henceforth, I shall be known as Chhote Lal Khatri for all purposes.

Chhote Lal.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट, 13–571+10–डी0टी0पी0।
Website : http : / / egazette . bih . nic . in

बिहार गजट
का
पूरक (अ0)
प्राधिकारी द्वारा प्रकाशित

सं0 2/सी0–1020/2010–सा0प्र0–7257
सामान्य प्रशासन विभाग

संकल्प
29 मई 2019

श्री अमरनाथ साहा (बि0प्र0से0), कोटि क्रमांक 549/11, तत्कालीन अनुमंडल पदाधिकारी, सिवान सम्प्रति उप निदेशक (खाद्य), भागलपुर प्रमंडल, भागलपुर के विरूद्ध गठित आरोप–पत्र प्रपत्र 'क' साक्ष्यों सहित जिला पदाधिकारी, सिवान के पत्रांक 849/सी0 दिनांक 07.04.2010 द्वारा प्राप्त हुआ। श्री साहा के विरूद्ध गलत सूचना देकर मुख्यालय से बाहर जाने, ससमय SIO मिलने के बावजूद उसे समय पर प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारियों को उपलब्ध नहीं कराने, बैठकों में पूरी तैयारी के साथ भाग नहीं लेने, सप्लाई रिविजन संख्या 268/08 एवं 271/08 में आयुक्त, सारण प्रमंडल, छपरा के द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में सकारण आदेश पारित नहीं करने, प्राप्त शिकायत के आलोक में जन वितरण प्रणाली बिक्रेताओं के विरूद्ध जाँच नहीं करने/ठोस कार्रवाई नहीं करने, मेसर्स गोयल स्टेशनरी ट्रेडर्स, सिवान को अवैध तरीके से सील करने तथा एक व्यक्ति को अवैध रूप से थाना हाजत में बन्द रखने, जाति प्रमाण–पत्र/निवास प्रमाण–पत्र/आय प्रमाण–पत्र के सत्यापन में मनमानी करने, वाहन चेकिंग के नाम पर वाहनों को पकड़कर अवैध तरीके से कई सप्ताह रखे जाने तथा जन प्रतिनिधियों के साथ अमर्यादित व्यवहार करने का आरोप प्रतिवेदित है।

श्री साह से उक्त आरोपों पर विभागीय पत्रांक 10686 दिनांक 01.08.2014 द्वारा स्पष्टीकरण की मांग की गयी। श्री साहा के पत्रांक 65/गो0 दिनांक 15.08.2014 द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किया गया। उक्त स्पष्टीकरण पर विभागीय पत्रांक 13208 दिनांक 22.09.2014 द्वारा जिला पदाधिकारी, सिवान से मंतव्य की मांग की गयी। तत्पश्चात विभागीय पत्रांक 5908 दिनांक 20.04.2015, 7885 दिनांक 02.06.2016, 9708 दिनांक 14.07.2016 एवं पत्रांक 10597 दिनांक 03.08.2016 द्वारा स्मारित किये जाने पर जिला पदाधिकारी, सिवान के पत्रांक 2927/सी0 दिनांक 17.10.2016 द्वारा मंतव्य प्राप्त हुआ।

प्रतिवेदित आरोपों, श्री साहा के स्पष्टीकरण एवं जिला पदाधिकारी, सिवान द्वारा प्रतिवेदित मंतव्य पर सम्यक् विचारोपरांत अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार श्री साहा के विरूद्ध संलग्न अनुबंध में अंतर्विष्ट आरोपों की जाँच विहित रीति से करने हेतु बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के संगत प्रावधानों के तहत् विभागीय संकल्प ज्ञापांक 16862 दिनांक 20.12.2016 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी, जिसमें आयुक्त, सारण प्रमंडल, छपरा को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

संचालन पदाधिकारी–सह–आयुक्त, सारण प्रमंडल, छपरा के पत्रांक 347 दिनांक 07.03.2018 द्वारा श्री साहा के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही का अंतिम जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ, जिसमें श्री साहा के विरूद्ध सभी आरोपों को अप्रमाणित प्रतिवेदित किया गया।

प्रतिवेदित आरोपों के आलोक में संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन पर अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा समीक्षा की गई एवं सम्यक् समीक्षोपरान्त निम्न बिन्दुओं पर असहमति व्यक्त की गयी :–

(i) सदर अनुमंडल में आपूर्ति व्यवस्था को दुरूस्त रखने की जिम्मेवारी अनुमंडल पदाधिकारी (श्री साहा) की थी, लेकिन उनके मनमाने कार्यकलाप से व्यवधान उत्पन्न हुआ। एस0आई0ओ0 मिलने के बावजूद समय पर प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारियों को उपलब्ध नहीं करा पाने के कारण ससमय खाद्यान्न का उठाव नहीं हो पाया। इस संबंध में जिला पदाधिकारी, सिवान के ज्ञापांक 1020 दिनांक 05.11.2009 द्वारा एस0आई0ओ0 प्रतिहस्ताक्षर नहीं करने के कारण भविष्य में इस प्रकार की पुनरावृत्ति नहीं करने की चेतावनी संसूचित किये जाने के बावजूद उनके द्वारा प्रतिहस्ताक्षर नहीं किया गया। उल्लेखनीय है कि जिला पदाधिकारी, सिवान द्वारा वितरण व्यवस्था में अपेक्षित सुधार एवं कालाबाजारी की रोकथाम के उद्देश्य से यह व्यवस्था लागू की गयी थी।

(ii) आपूर्ति टास्क फोर्स की बैठक में दिनांक 15.10.2009, 14.11.2009 एवं 06.02.2010 को श्री साहा अनुपस्थित रहे हैं, जिसमें उनके द्वारा जिला पदाधिकारी, सिवान को पूर्व में अनिवार्य सरकारी कार्य की सूचना दिये जाने का उल्लेख किया गया है, जबकि ऐसा कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया।

(iii) बी0पी0एल0 खाद्यान्न का उठाव कर उपभोक्ताओं के बीच वितरण न कर उसकी कालाबाजारी करने संबंधी आरोप के क्रम में संबंधित विक्रेताओं के विरूद्ध ठोस कार्रवाई किया जाना था, जो उनके पदस्थापन काल के पूर्व का है, लेकिन कुछ मामलों को अपने स्तर से जाँच कर आपके द्वारा प्रतिवेदित किया जाना चाहिए था, जो नहीं किया गया।

विभागीय पत्रांक 10047 दिनांक 27.07.2018 द्वारा श्री साहा से असहमति के बिन्दु पर अभ्यावेदन की मांग की गयी। उक्त के आलोक में श्री साहा के पत्रांक 25/गो0 दिनांक 07.08.2018 द्वारा अभ्यावेदन समर्पित किया गया। समर्पित अभ्यावेदन में श्री साहा का मुख्य रूप से कहना है कि :–

''(i) उन्हें जिला पदाधिकारी, सिवान द्वारा निर्गत ज्ञापांक 1020 दिनांक 05.11.2009 की तिथि गलत अंकित की गयी है। यह पत्र दिसम्बर, 2009 का है। उक्त के अवलोकन से स्पष्ट होगा कि अनुमंडल पदाधिकारी, सिवान के पत्रांक 1498 दिनांक 16.11.2009 पर समीक्षोरान्त चेतावनी पत्र निर्गत किया गया था। अर्थात् 16.11.2009 के पत्र के आलोक में जिला पदाधिकारी का पत्र 05.11.2009 को कैसे निर्गत हो सकता है ? इस प्रकार यह कहना कि चेतावनी संसूचित किये जाने के बावजूद भी मेरे द्वारा एस0आई0ओ0 पर प्रतिहस्ताक्षर नहीं किया गया यह सत्य से परे है। उन्होंने जिला पदाधिकारी, सिवान से विमर्श का सभी एस0आई0ओ0 पर ससमय प्रहिस्ताक्षर कर दिया गया था। एस0आई0सी0 निर्गत होने के उपरान्त चेतावनी संसूचित की गयी थी। उनके द्वारा दृढ़ संकल्प के साथ जिला पदाधिकारी के उद्देश्य का पालन करते हुए वितरण व्यवस्था को सुचारू एवं कालाबाजारी पर पूर्ण रोक लगाया गया था। उनके कार्यकाल में कालाबाजारी का कोई मामला उजागर नहीं हुआ।

(ii) जिला पदाधिकारी, सिवान के द्वारा आहुत बैठक दिनांक 15.10.2009, 14.11.2009 एवं 06.02.2010 से संबंधित सूचना पत्र एवं कार्यवाही की छायाप्रति की मांग की गयी थी, जो उन्हें उपलब्ध नहीं कराय गया। यदि कार्यवाही की प्रति उन्हें उपलब्ध करायी गयी होती तो स्पष्ट हो जाता की तीनों बैठकों में कौन सम्पन्न हुई थी और कौन स्थगित कर दी गयी थी। विधि–व्यवस्था अथवा किसी विभागीय महत्वपूर्ण कारणों से बैठक में वे उपस्थित नहीं हो पाते थे तो इस संबंध में जिला पदाधिकारी, सिवान से दूरभाष पर पूर्व में ही अनुमति प्राप्त कर लेते थे तथा अपने अधीनस्थ को बैठक में भाग नहीं लेते तो उनसे स्पष्टीकरण पूछा जाता, जबकि ऐसा कोई साक्ष्य नहीं दिया गया है।

(iii) प्रश्नगत मामला तत्कालीन अनुमंडल पदाधिकारी, सिवान के कार्यकाल का है। उनके द्वारा संबंधित बिक्रेताओं के विरूद्ध जाँच करायी गयी थी और स्वयं भी मामले की छान–बीन किया था। जाँच में कालाबाजारी का कोई मामला उजागर नहीं होने की पूरी जानकारी जिला पदाधिकारी से मिलकर उन्होंने दी थी। यदि कालाबाजारी का कोई मामला प्रकाश में आया होता तो उनके विरूद्ध कार्रवाई की जाती।''

श्री साहा के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप, उनके द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण, संचालन पदाधिकारी का जाँच प्रतिवेदन तथा इसके क्रम में गठित असहमति के बिन्दु तथा उसपर प्राप्त बचाव अभ्यावेदन की अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा सम्यक् समीक्षा की गयी। समीक्षोपरान्त पाया गया कि श्री साहा द्वारा समर्पित बचाव बयान (अभ्यावेदन) का कथन सही नहीं है क्योंकि जिला पदाधिकारी, सिवान द्वारा मंतव्य में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि एस0आई0ओ0 मिलने के बावजूदद समय पर प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारियों को उपलब्ध नहीं करा पाने के कारण ससमय खाद्यान्न का उठाव नहीं हो पाया। एस0आई0ओ0 प्रतिहस्ताक्षर नहीं करने के कारण भविष्य में इस प्रकार की पुनरावृत्ति नहीं करने की चेतावनी संसूचित किये जाने के बावजूद उनके द्वारा प्रतिहस्ताक्षर नहीं किया गया। चेतावनी की बात श्री साहा द्वारा भी स्वीकार किया गया है। आपूर्ति टास्क फोर्स की बैठक में अनुपस्थित रहने संबंधी अनिवार्य सरकारी कार्य की सूचना दिये जाने को कोई साक्ष्य उनके द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया। ए0पी0एल0 खाद्यान्न का उठाव कर उपभोक्ताओं के बीच वितरण न कर उसकी कालाबजारी करने संबंधी कुछ मामलों को अपने स्तर से जाँच कर उनके द्वारा प्रतिवेदित नहीं किया गया। वर्णित तथ्यों के आलोक में अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा बचाव अभ्यावेदन को अस्वीकृत करते हुए श्री अमरनाथ साहा (बि0प्र0से0), कोटि क्रमांक 549/11, तत्कालीन अनुमंडल पदाधिकारी, सिवान सम्प्रति उप निदेशक (खाद्य), भागलपुर प्रमंडल, भागलपुर के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोपों के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 तथा समय समय पर संशोधित के नियम–14 के संगत प्रावधानों के तहत् ***'दो वेतनवृद्धियाँ संचयी प्रभाव (Cummulative Effect) से रोकने'*** का दंड विनिश्चित किया गया।

विभागीय पत्रांक 16100 दिनांक 10.12.2018 द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग, पटना से श्री साहा के विरूद्ध विनिश्चित दंड प्रस्ताव पर परामर्श की मांग की गई। उक्त के आलोक में आयोग के पत्रांक 3568 दिनांक 28.03.2019 द्वारा अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा विनिश्चित दंड प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त की गयी।

बिहार लोक सेवा आयोग से प्राप्त सहमति के आलोक में अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार श्री अमरनाथ साहा (बि0प्र0से0), कोटि क्रमांक 549/11, तत्कालीन अनुमंडल पदाधिकारी, सिवान सम्प्रति उप निदेशक (खाद्य), भागलपुर प्रमंडल, भागलपुर के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोपों के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 तथा समय समय पर संशोधित के नियम–14 के संगत प्रावधानों के तहत् ***'दो वेतनवृद्धियाँ संचयी प्रभाव (Cummulative Effect) से रोकने'*** का दण्ड अधिरोपित करने का निर्णय लिया गया।

श्री अमरनाथ साहा (बि0प्र0से0), कोटि क्रमांक 549/11, तत्कालीन अनुमंडल पदाधिकारी, सिवान सम्प्रति उप निदेशक (खाद्य), भागलपुर प्रमंडल, भागलपुर के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोपों के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 तथा समय समय पर संशोधित के नियम–14 के संगत प्रावधानों के तहत् ***'दो वेतनवृद्धियाँ संचयी प्रभाव (Cummulative Effect) से रोकने'*** का दंड अधिरोपित एवं संसूचित किया जाता है।

आदेश :–आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
राजेन्द्र राम, अपर सचिव।

———

सं0 2/आरोप–01–41/2014–सा0प्र0–3245

———

संकल्प
8 मार्च 2019

श्री अशोक कुमार (बि0प्र0से0), कोटि क्रमांक 621/11, तत्कालीन जिला पंचायत राज पदाधिकारी, गोपालगंज–सह–प्रभारी अधीक्षक, मंडल कारा, गोपालगंज सम्प्रति विशेष कार्य पदाधिकारी, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, बिहार, पटना के विरूद्ध जिला पंचायत राज पदाधिकारी, गोपालगंज के पदस्थापन अवधि में निगरानी थाना कांड सं0 090/10 दिनांक 22.12.2010 के प्राथमिकी अभियुक्त श्री भानू प्रताप चौहान, पंचायत सचिव, ग्राम–पंचायत राज–करकटहाँ, प्रखंड–कटेयाँ, जिला–गोपालगंज के द्वारा परिवादी श्री रामदेव राम, पिता श्री भृगुराशन राम, ग्राम–सरकड़ही, पोस्ट–बेलहीं खास, थाना–कटेयॉ, जिला–गोपालगंज से इंदिरा आवास आवंटन एवं उसकी राशि भुगतान करने हेतु रिश्वत में मो0 5000.00 रूपये मॉगने एवं धावादल के द्वारा श्री चौहान को 3000.00 रूपये रिश्वत की राशि लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किए जाने के आधार पर जिला पदाधिकारी, गोपालगंज से अभियोजन स्वीकृति हेतु प्रस्ताव समर्पित किया गया था, जिसके आलोक में जिला पदाधिकारी, गोपालगंज के पत्रांक 157 दिनांक 03.02.2011 के द्वारा श्री चौहान के विरूद्ध अभियोजन की स्वीकृति प्रदान की गयी।

उक्त मामले में श्री चौहान के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी। संचालन पदाधिकारी से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर श्री चौहान के विरूद्ध समुचित कार्रवाई हेतु संचिका आपके माध्यम से अनुशासनिक प्राधिकार के समक्ष उपस्थापित की गयी। आपके द्वारा दिए गए टिप्पणी एवं प्रस्ताव के अवलोकन से स्पष्ट है कि संचालन पदाधिकारी के द्वारा श्री चौहान, निलंबित पंचायत सचिव को कर्त्तव्यों के निर्वहन नहीं करने का दोषी पाए जाने के बावजूद उनके विरूद्ध दंड का निर्धारण करने एवं निलम्बन मुक्त करने का प्रस्ताव दिया गया है, जबकि घूस लेते रंगे हाथ पकड़े जाने जैसे मामलों में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 14(xi) के प्रावधान के तहत सेवा से बर्खास्तगी का दंड दिया जाना है। स्पष्ट है, आपके द्वारा श्री चौहान के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही की सम्यक समीक्षा नहीं की गयी एवं बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के प्रावधानों के अनुरूप दंड का प्रस्ताव नहीं दिया गया, जिसका अनुचित लाभ श्री चौहान को मिला। इस प्रकार आपके द्वारा घूस लेते रंगे हाथों पकड़े जाने के मामले में आरोपी सरकारी सेवक श्री भानू प्रताप चौहान, पंचायत सचिव को बचाने का आरोप प्रतिवेदित है।

श्री कुमार के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोपों पर विभागीय पत्रांक 2686 दिनांक 19.02.2015 द्वारा स्पष्टीकरण की मांग की गयी। उक्त के आलोक में श्री कुमार के अभ्यावेदन दिनांक 25.03.2015 द्वारा अपना स्पष्टीकरण समर्पित किया गया है, जिसमें उनका कहना है कि बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–17(23)(ii) तथा उपनियम (i) एवं नियम–18 के अनुसार संचालन पदाधिकारी के प्रतिवेदन की समीक्षा की शक्ति अनुशासनिक प्राधिकार को प्राप्त है। इस विषय पर निर्गत आदेश ज्ञापांक 28/पं0 दिनांक 12.01.2013 से स्पष्ट है कि जिला पदाधिकारी महोदय द्वारा संचालन पदाधिकारी के प्रतिवेदन की समीक्षा के उपरांत ही आदेश पारित किया गया है। साथ ही उनका यह भी कहना है कि जिला पदाधिकारी के आदेश से असहमत होने या विपरीत टिप्पणी देने की क्षमता किसी भी अन्य अधीनस्थ पदाधिकारी को नहीं है। इनके द्वारा यह भी कहा गया है कि संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित संचालन प्रतिवेदन के आधार पर दण्ड अध्यारोपण हेतु संचिका ससमय उपस्थापित की गई। संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन से सहमति या असहमति का अधिकार अनुशासनिक प्राधिकार को प्राप्त है। इस प्रकार प्रश्नगत आदेश में इनकी कोई भूमिका अथवा सहभागिता नहीं है और न ही इनके द्वारा उक्त मामले में किसी तथ्य को छिपाया गया है तथा न हीं दोषीकर्मी को बचाने अथवा कम दण्ड देने का प्रस्ताव दिया गया है।

श्री कुमार के उपर्युक्त स्पष्टीकरण पर विभागीय पत्रांक 7163 दिनांक 15.05.2015 द्वारा जिला पदाधिकारी, गोपालगंज से मंतव्य की मांग की गयी। जिला पदाधिकारी, गोपालगंज के पत्रांक 443 दिनांक 11.06.2015 द्वारा मंतव्य प्राप्त हुआ है, जिसमें श्री कुमार के स्पष्टीकरण को स्वीकार योग्य प्रतिवेदित किया गया, लेकिन कारणों का उल्लेख नहीं किया गया। समीक्षोपरान्त श्री कुमार के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोपों के संदर्भ में आरोप–पत्र अप्राप्त रहने के कारण संचिका में उपलब्ध तथ्यों/साक्ष्यों के आधार पर आरोप–पत्र गठित किया गया।

श्री कुमार के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप, समर्पित स्पष्टीकरण एवं जिला पदाधिकारी, गोपालगंज से प्राप्त मंतव्य की समीक्षा के उपरान्त अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार श्री कुमार के विरूद्ध बिहर सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–17 के संगत प्रावधानों के तहत् विभागीय संकल्प ज्ञापांक 5975 दिनांक 28.04.2016 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी, जिसमें आयुक्त, सारण प्रमंडल, छपरा को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

संचालन पदाधिकारी–सह–आयुक्त, सारण प्रमंडल, छपरा के पत्रांक 3193 दिनांक 20.12.2016 द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन में आरोपों को अप्रमाणित प्रतिवेदित किया गया। अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित

जाँच प्रतिवेदन की गयी एवं समीक्षोपरान्त श्री कुमार के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोपों के आलोक में निम्नलिखित अंकित बिन्दुओं पर असहमति व्यक्त की गयी :–

''(i) श्री भानू प्रताप चौहान, पंचायत सचिव के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन की गहन समीक्षा श्री कुमार के द्वारा नहीं की गयी। श्री कुमार के द्वारा गहन समीक्षा की जानी चाहिए थी तथा गहन समीक्षा करते हुए जाँच प्रतिवेदन से असहमत होते हुए पुनः जाँच करवाने अथवा असहमति के आधार पर आरोपित पंचायत सचिव से अभ्यावेदन प्राप्त कर वृहद दंड (सेवा से बर्खास्तगी) का प्रस्ताव दिया जाना चाहिए था, जो उनके द्वारा नहीं दिया गया।

(ii) श्री कुमार के द्वारा मात्र संचालन पदाधिकारी के निष्कर्ष के आधार पर प्रस्ताव दिया गया, जिस कारण घूस लेते रंगे हाथ पकड़े गये आरोपी पंचायत सचिव को लाभ प्राप्त हुआ।''

उक्त असहमति के बिन्दुओं पर विभागीय पत्रांक 13569 दिनांक 25.10.2017 द्वारा श्री कुमार से अभ्यावेदन/बचाव बयान की मांग की गयी। उक्त के आलोक में श्री कुमार के पत्रांक–कैम्प दिनांक 28.11.2017 समर्पित किया गया। श्री कुमार के द्वारा कंडिकावार अपना पक्ष रखा गया है, जो निम्नवत् है :–

(i) पूर्व में गठित आरोप पत्र प्रपत्र 'क' एवं अनुशासनिक प्राधिकार के द्वारा गठित असहमति के बिन्दु में लगाए गए आरोपों में कोई भिन्नता नहीं है।

(ii) अद्योहस्ताक्षरी के विरूद्ध गठित आरोपों के लिए सामान्य प्रशासन विभाग के पत्रांक 2686 दिनांक 19.02.2015 के द्वारा स्पष्टीकरण की मांग की गयी, जिसके आलोक में अद्योहस्ताक्षरी द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किया गया, जिसपर जिला पदाधिकारी, गोपालगंज का मन्तव्य प्राप्त किया गया है। जिला पदाधिकारी, गोपालगंज द्वारा अपने पत्रांक 443/पं0 दिनांक 11.06.2015 के द्वारा अद्योहस्ताक्षरी के स्पष्टीकरण को समीक्षोपरान्त स्वीकार करते हुए स्पष्टीकरण को स्वीकारात्मक प्रतिवेदित किया गया।

श्री कुमार द्वारा अपने अभ्यावेदन में किसी नये तथ्य का उल्लेख नहीं किया गया है। उनके द्वारा उन्हीं तथ्यों का उल्लेख किया गया है, जो उनके द्वारा पूर्व में किया गया था।

उल्लेखनीय है कि श्री कुमार द्वारा आरोपित पंचायत सचिव के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही में प्रमाणित पाये गये आरोपों के लिए दंड अधिरोपित करने हेतु प्रस्ताव दिया गया, लेकिन वरीय पदाधिकारी होने के नाते रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़े जाने जैसे गम्भीर आरोप के लिए संचालित विभागीय कार्यवाही की सम्यक्/गहन समीक्षा किया जाना चाहिए था, जो इनके द्वारा नहीं किया गया। श्री कुमार द्वारा गहन समीक्षा करते हुए जाँच प्रतिवेदन से असहम होते हुए पुनः जाँच करवाने अथवा असहमति के आधार पर आरोपी पंचायत सचिव से अभ्यावेदन प्राप्त कर वृहत् दंड (जिसमें सेवा से बर्खास्तगी भी शामिल है) का प्रस्ताव दिया जाना चाहिए था, जो उनके द्वारा नहीं दिया गया। श्री कुमार द्वारा मात्र संचालन पदाधिकारी के निष्कर्ष के आधार पर ही प्रस्ताव दिया गया, आरोप की गम्भीरता को नहीं देखा गया, जिस कारण घूस लेते रंगे हाथ पकड़े गये आरोपी पंचायत सचिव को लाभ प्राप्त हुआ।

वर्णित तथ्यों के आलोक में अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्री कुमार के अभ्यावेदन/बचाव बयान को अस्वीकृत करते हुए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमवाली के संगत प्रावधानों के तहत् '**निन्दन एवं दो वेतनवृद्धियों पर संचयात्मक प्रभाव से रोक**' का दण्ड निरूपित करने का विनिश्चय किया गया।

विभागीय पत्रांक 4111 दिनांक 27.03.2018 द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग, पटना से श्री कुमार के विरूद्ध विनिश्चित दण्ड प्रस्ताव पर सहमति/परामर्श की मांग की गई। आयोग के पत्रांक 2878 दिनांक 28.01.2019 द्वारा अपने अभिमत में प्रतिवेदित आरोप की समीक्षा एवं कोई तार्किक तथ्य पेश किये बिना अनुशासनिक प्राधिकार के विनिश्चित दंड प्रस्ताव पर असहमति व्यक्त किया गया।

अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा विनिश्चत दण्ड प्रस्ताव पर श्री अशोक कुमार (बि0प्र0से0), कोटि क्रमांक 621/11, तत्कालीन जिला पंचायत राज पदाधिकारी, गोपालगंज–सह–प्रभारी अधीक्षक, मंडल कारा, गोपालगंज सम्प्रति विशेष कार्य पदाधिकारी, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, बिहार, पटना के विरूद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के संगत प्रावधानों के तहत् निम्नांकित दंड संसूचित किया जाता है।

(i) निन्दन एवं

(ii) दो वेतनवृद्धियों पर संचयात्मक प्रभाव से रोक।

आदेश :–आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति अनुबंध की प्रति के साथ सभी संबंधित पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ भेज दी जाए।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
राम बिशुन राय, अवर सचिव।

सं0 2/आरोप–01–36/2015–सा0प्र0– 7179

संकल्प

27 मई 2019

श्री अशोक वर्मा (बि0प्र0से0), कोटि क्रमांक 94/11, तत्कालीन प्रभारी पदाधिकारी, बंदोबस्त, बेगूसराय सम्प्रति सेवानिवृत्त के विरूद्ध उजरत भोगी अमीन तथा सफाई मोहर्रिर का पैनल तैयार करने में अनियमितता बरतने, सरकारी निदेश

की अवहेलना करते हुए मनमाने ढ़ंग से बड़े पैमाने पर उजरत भोगी अमीन की नियुक्ति करने आदि आरोपों के लिए निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप, बिहार, पटना के पत्रांक 1656 दिनांक 04.09.2015 द्वारा आरोप–पत्र प्रपत्र 'क' गठित कर साक्ष्य सहित विभाग को उपलब्ध कराया गया।

प्राप्त आरोप–पत्र में उजरत भोगी अमीन तथा एक सौ सफाई मोहर्रिर का पैनल तैयार करने की प्रक्रिया में विभागीय निदेश का अनुपालन नहीं करने, सक्षम पदाधिकारी से बिना आदेश प्राप्त किये मनमानी ढ़ंग तथा सरकारी निदेश की अवहेलना करते हुए बड़े पैमाने पर उजरत भोगी अमीन की नियुक्ति करने, तथा नियुक्ति हेतु निर्धारित मापदण्ड को अपनाये बिना ही नियुक्ति किये जाने, विभागीय पत्र संख्या 152/गो0 दिनांक 07.06.2013 के आलोक में बिहार विशेष सर्वेक्षण अधिनियम, 2011 एवं नियमावली, 2012 के प्रभावी होने के बाद भी बिहार टेनेन्सी एक्ट, 1886 की धारा–106 तहत् सहायक बन्दोवस्त पदाधिकारी बैकडेटिंग कर आदेश पारित करने के संबंध में विहित प्रपत्र में जाँच प्रतिवेदन की मांग किये जाने पर संबंधित जाँच प्रतिवेदन न तो विभाग को और न ही बन्दोबस्त पदाधिकारी को उपलब्ध कराने, खानापुरी दल के गठन से पूर्व समाहर्त्ता–सह–बन्दोबस्त पदाधिकारी से अनुमति प्राप्त नहीं करने तथा पुर्नगठित खानापुरी दल की सूचना जिला गजट में प्रकाशित नहीं कराये जाने संबंधी कुल–12 आरोप प्रतिवेदित हैं।

2. विभागीय पत्रांक 6106 दिनांक 29.04.2016 द्वारा श्री वर्मा के विरूद्ध गठित प्रपत्र 'क' के क्रम में उनसे स्पष्टीकरण की मांग की गयी, किन्तु पत्र वापस आ गया। पुनः विभागीय पत्रांक 8790 दिनांक 21.06.2016 द्वारा श्री वर्मा को स्पष्टीकरण समर्पित करने हेतु निदेशित किया गया, परन्तु उनका स्पष्टीकरण अप्राप्त रहा।

3. तदोपरान्त श्री वर्मा के विरूद्ध गठित आरोप–पत्र में प्रतिवेदित आरोपों पर सम्यक् विचारोपरान्त अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार विभागीय संकल्प ज्ञापांक 11222 दिनांक 17.08.2016 द्वारा बिहार पेंशन नियमावली, 1950 के नियम–43(बी) के प्रावधानों के तहत् विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी, जिसमें आयुक्त, मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

4. आयुक्त, मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर–सह–संचालन पदाधिकारी द्वारा श्री वर्मा के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही में आरोप–पत्र में अंकित आरोप के विभिन्न बिन्दुओं, साक्ष्य, आरोपित पदाधिकारी के बचाव का लिखित अभिकथन/पूरक स्पष्टीकरण, उपस्थापित कागजात एवं प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी के लिखित मंतव्य प्रतिवेदन/साक्ष्य, संगत अभिलेखों के अवलोकन करते हुए तथा विभिन्न तिथियों को आरोप के विभिन्न मदों पर उभय पक्ष की बिन्दुवार सुनवाई की गयी। सुनवाई के उपरांत आयुक्त कार्यालय, मुंगेर के पत्रांक 4623 दिनांक 16.12.2017 द्वारा प्राप्त जाँच प्रतिवेदन में श्री वर्मा के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप के सभी 12 बिन्दुओं को पूर्णतः प्रमाणित प्रतिवेदित किया गया। प्राप्त जाँच प्रतिवेदन की प्रति संलग्न करते हुए विभागीय पत्रांक 2130 दिनांक 13.02.2018 द्वारा श्री वर्मा से बचाव अभ्यावेदन की मांग की गयी। उक्त के आलोक में श्री वर्मा द्वारा अपना बचाव अभ्यावेदन दिनांक 08.03.2018 विभाग को समर्पित किया गया।

5. श्री वर्मा द्वारा अपने अभ्यावेदन में किसी नये तथ्य का उल्लेख नहीं किया गया। उनके द्वारा उन्हीं तथ्यों का उल्लेख किया गया, जो उनके द्वारा पूर्व में संचालन पदाधिकारी के समक्ष समर्पित बचाव बयान/स्पष्टीकरण/पूरक स्पष्टीकरण में किया गया। इस संदर्भ में उल्लेखनीय है कि संचालन पदाधिकारी द्वारा आरोप–पत्र में अंकित आरोप के विभिन्न बिन्दु, साक्ष्य, आरोपित पदाधिकारी के बचाव का लिखित कथन/पूरक स्पष्टीकरण तथा उपस्थापित कागजात एवं प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी के लिखित मंतव्य प्रतिवेदन/साक्ष्य तथा आरोप के विभिन्न मदों पर उभय पक्ष की बिन्दुवार सुनवाई के उपरान्त ही श्री वर्मा के विरूद्ध आरोप–पत्र में गठित सभी 12 आरोपों को साक्ष्यों के आधार पर पूर्णतः प्रमाणित पाया गया।

6. श्री वर्मा के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप, समर्पित बचाव अभ्यावेदन एवं संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन की सम्यक् समीक्षा की गयी। समीक्षोपरान्त श्री वर्मा द्वारा समर्पित बचाव अभ्यावेदन में वर्णित तथ्यों को स्वीकारयोग्य नहीं पाया गया। उपरोक्त तथ्यों के आलोक में अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्री अशोक वर्मा (बि0प्र0से0), कोटि क्रमांक 94/11, तत्कालीन प्रभारी पदाधिकारी, बंदोबस्त, बेगूसराय सम्प्रति सेवानिवृत्त के विरूद्ध संचालन पदाधिकारी के प्रतिवेदन में पूर्णतः प्रमाणित सभी आरोपों के आधार पर बिहार पेंशन नियमावली के नियम–43(बी) के संगत प्रावधानों के तहत् उनके ***'पेंशन से 10% (दस प्रतिशत) की राशि की कटौती स्थायी रूप से करने'*** का दण्ड विनिश्चित किया गया।

7. विभागीय पत्रांक 6597 दिनांक 21.05.2018 द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग, पटना से श्री वर्मा के विरूद्ध विनिश्चित दंड प्रस्ताव पर सहमति/परामर्श की मांग की गई। अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा विनिश्चित दंड प्रस्ताव पर आयोग के पत्रांक 2075 दिनांक 02.11.2018 द्वारा सहमति प्राप्त हुई।

8. बिहार लोक सेवा आयोग से प्राप्त सहमति के आलोक में अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार श्री अशोक वर्मा (बि0प्र0से0), कोटि क्रमांक 94/11, तत्कालीन प्रभारी पदाधिकारी, बंदोबस्त, बेगूसराय सम्प्रति सेवानिवृत्त के विरूद्ध बिहार पेंशन नियमावली के नियम–43(बी) के संगत प्रावधानों के तहत विभागीय संकल्प ज्ञापांक 15350 दिनांक 27.11.2018 द्वारा ***'पेंशन से 10% (दस प्रतिशत) की राशि की कटौती स्थायी रूप से करने'*** का दण्ड अधिरोपित एवं संसूचित किया गया।

9. उक्त दंडादेश के विरूद्ध श्री वर्मा द्वारा पुनर्विचार आवेदन समर्पित किया गया।

श्री वर्मा द्वारा समर्पित पुनर्विचार आवेदन में निम्नलिखित मुख्य बिन्दुओं का उल्लेख किया गया है :–

आरोप स0–01 :– आरोप संख्या–01 से 08 तक उजरत भोगी अमीन की सूची बनाने से संबंधित है। बन्दोवस्त कार्यालय में एक भी व्यक्ति को उजरत भोगी अमीन के पद पर नियोजित नहीं किया गया। मेरे द्वारा समर्पित पूरक स्पष्टीकरण में स्पष्ट कर दिया गया है कि अमीन और मोहर्रिर को नियोजित नहीं किया गया। सिर्फ जमीन एवं चयनित मोहर्रिर को सूचीबद्ध किया गया हैं आवश्यकतानुसार कार्य के उपलब्धता के आधार पर सूची से अमीन को कार्य आवंटित किया गया है। पूरक स्पष्टीकरण की प्रति संलग्न किया जा रहा है।

प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी के द्वारा ज्ञापांक 1789 दिनांक 30.01.2013 में वर्णित दिशा निर्देश का विस्तृत विवरण दिया गया है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के ज्ञापांक 178 दिनांक 30.01.2013 के कंडिका 2 में स्पष्ट रूप से उजरत भोगी अमीन के नियोजन के संबंध में निर्देश है। पूरक स्पष्टीकरण में भी नियोजन का मतलब स्पष्ट कर दिया गया है। बेगूसराय जिला में नियोजित उजर भोगी अमीन सिर्फ बेगूसराय जिला में ही कार्य करते है। लेकिन बेगूसराय जिला में सूचीबद्ध उजरत भोगी, खगड़िया, लखीसराय एवं नालन्दा जिला में भी कार्यरत है। इससे स्पष्ट है कि उजरत भोगी अमीन का नियोजन नहीं किया गया है। किसी प्रकार का मानदेय या संविदा राशि का भुगतान नहीं किया गया है। समाहर्त्ता सह बन्दोवस्त पदाधिकारी, बेगूसराय के निर्देश पर ही उजरत भोगी अमीन को सूचीबद्ध किया गया है। समाहर्त्ता सह बन्दोवस्त पदाधिकारी के आदेश पर ही अंचल कार्यालय एवं कांवर झील की नापी हेतु उजरत भोगी अमीन को कार्य आवंटित किया गया है।

रोड मैप बनाने हेतु बन्दोवस्त पदाधिकारी के निर्देश पर सभी 739 उजरत भोगी अमीन के साथ जिला के सभी 1230 ग्रामों के सम्बद्ध किया गया। सूची को बन्दोवस्त पदाधिकारी के हस्ताक्षर से ही सरकार को समर्पित किया गया। रोड मैप की प्रति निदेशालय एवं जिला कार्यालय में उपलब्ध है।

उजरत भोगी अमीन को सूचीबद्ध करने का कार्य 2013 के अन्त एवं 2014 के प्रारम्भ में किया गया। सभी ग्राम का कार्य भी आवंटित कर दिया जो कि बन्दोवस्त पदाधिकारी के आदेश पर ही किया गया एवं बन्दोवस्त पदाधिकारी द्वारा ग्राम में जाकर स्थल निरीक्षण भी किया गया। मेरे सेवा में रहते हुए इस संबंध में कोई स्पष्टीकरण भी नहीं पूछा गया। मेरे सेवा निवृत्त की तिथि दिनांक 31.08.2015 के बाद अचानक जाँच भी हो गया और कोई स्पष्टीकरण भी पूछा नहीं गया। प्रपत्र 'क' के द्वारा आरोप का गठन कर विभागीय कारवाई की गयी। संचालन पदाधिकारी का ध्यान आकृष्ट करने पर उनके द्वारा संज्ञान में नहीं लिया गया।

यह भी स्पष्ट करना है कि अमीनों को सूचीबद्ध किया गया। उन्हें किसी भी राशि का भुगतान नहीं किया गया। इस तरह सरकार को किसी प्रकार की वित्तीय क्षति नहीं हुई है। संचालन पदाधिकारी द्वारा अपने जाँच प्रतिवेदन में यह भी स्पष्ट नहीं किया गया।

आरोप संख्या–9 :– के सहायक बन्दोवस्त पदाधिकारी (मुख्यालय), सहरसा के विरूद्ध जाँच संबंधित है। विभागीय पत्रांक 152 दिनांक 07.06.2013 के आलोक में सहरसा जिला के समाहर्त्ता–सह–बन्दोवस्त पदाधिकारी के संरक्षण में उनके द्वारा प्रतिनियुक्त पदाधिकारी के साथ सहायक बन्दोवस्त पदाधिकारी के विरूद्ध जाँच की गयी। जाँच प्रतिवेदन ससमय निदेशक महोदय को समर्पित कर दी गयी। संचिका को साक्ष्य में अन्तर प्रस्तुत करने हेतु प्रभारी पदाधिकारी बन्दोवस्त बेगूसराय से माँग की गयी। संचिका उपलब्ध नहीं कराया गया। आरोप–पत्र के साथ कोई भी साक्ष्य नहीं दिया गया है। फिर भी भ्रामक आरोप लगाया गया है। संचालन पदाधिकारी द्वारा भी इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया है।

आरोप संख्या–10–12 :– यह आरोप खानापुरी दल के गठन के संबंध में है। आरोप–पत्र के साथ कोई भी साक्ष्य नहीं है जिससे कहा जा सके कि गठन सहायक बन्दोवस्त पदाधिकारी द्वारा किया गया है।

खानापुरी दल का गठन सर्वे एवं बन्दोवस्त अधिनियम की धारा–9 के अन्तर्गत करने का प्रावधान है। धारा–9 में ही स्पष्ट है कि खानापुरी दल का गठन बन्दोवस्त पदाधिकारी द्वारा किया जाना है। खानापुरी दल के सदस्य राजस्व कर्मचारी भी होते है जो अंचल अधिकारी के अधीन कार्यरत है। समाहर्त्ता–सह–बन्दोवस्त पदाधिकारी का आदेश नहीं होने पर अंचल अधिकारी किस परिस्थिति में राजस्व कर्मचारी को खानापुरी दल का सदस्य बनाएँगे।

मेरे कार्यकाल में बेगूसराय, बरौनी, मटियानी, बलिया एवं साहेबपुर कमाल अंचल के सभी ग्रामों या मौजा में खानापुरी दल का गठन किया गया। आरोपकर्त्ता या प्रस्तुती पदाधिकारी इन सभी अंचल में एक भी खानापुरी दल का गठन सहायक बन्दोवस्त पदाधिकारी (मुख्यालय) के द्वारा किया जाना सिद्ध नहीं कर सकते हैं। संचालन पदाधिकारी द्वारा प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी से कोई साक्ष्य की माँग नहीं की गयी। प्रस्तुती पदाधिकारी के मौखिक कहने पर ही आरोप प्रमाणित कर दिया गया। आरोप के साथ भी कोई साक्ष्य नहीं दिया गया।

मेरे द्वारा पूरक स्पष्टीकरण में यह स्पष्ट कर दिया गया है कि किस ग्राम के लिए सहायक बन्दोवस्त पदाधिकारी (मुख्यालय) के द्वारा खानापुरी दल में संशोधन किया गया।

सभी अंचल की संचिका प्राप्त कर अवलोकन किया जा सकता है कि एक भी ग्राम के खानापुरी दल का गठन सहायक बन्दोवस्त पदाधिकारी (मुख्यालय) द्वारा नहीं किया गया है।

उपर्युक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि सरकार को कोई वित्तीय क्षति नहीं हुई है। फिर भी मुझे वित्तीय क्षति का दंड संसूचित किया गया।

अतः उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में संसूचित दंड पर पुर्नविचार करने की कृपा की जाय।

10. उक्त संसूचन के उपरान्त श्री वर्मा के द्वारा पुनर्विचार आवेदन प्रस्तुत करते हुए अनुरोध किया गया है कि इनके द्वारा कृत कार्य से राज्य को आर्थिक क्षति नहीं हुई है, जबकि उन्हें आर्थिक दंड दिया गया। फलतः दिया गया दंड पुनर्विचार किया जाय।

11. अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्री वर्मा के पुनर्विचार आवेदन का प्रतिवेदित आरोप, संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन एवं बिहार लोक सेवा आयोग के मंतव्य के आलोक में समीक्षा की गयी। समीक्षोपरान्त पाया गया कि श्री वर्मा के विरूद्ध कुल–12 (बारह) बिन्दु आरोप प्रपत्र में निहित था जिसे संचालन पदाधिकारी के द्वारा संचालन के क्रम में साक्ष्य आदि के आधार पर प्रमाणित पाया गया। श्री वर्मा द्वारा पूर्व में भी अपना बचाव बयान समर्पित किया गया था। उनके पुनर्विचार आवेदन में भी उन्हीं तथ्यों को रखा गया है। कोई नया तथ्य इनके द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया है, जिस पर विचार की आवश्यकता प्रतीत होती है। उक्त के आधार पर प्रतिवेदित आरोप पर जाँच पदाधिकारी द्वारा प्राप्त जाँच प्रतिवेदन में अंकित

सभी बारह बिन्दुओं को प्रमाणित पाये जाने के आधार पर श्री वर्मा के अभ्यावेदन को अस्वीकृत करते हुए विभागीय संकल्प ज्ञापांक 15350 दिनांक 27.11.2018 द्वारा संसूचित दंड को पूर्ववत् बरकरार रखने का निर्णय लिया गया।

अतः अनुशासनिक प्राधिकार के उक्त निर्णयानुसार श्री अशोक वर्मा (बि0प्र0से0), कोटि क्रमांक 94/11, तत्कालीन प्रभारी पदाधिकारी, बंदोबस्त, बेगूसराय सम्प्रति सेवानिवृत्त के विरूद्ध बिहार पेंशन नियमावली के नियम–43(बी) के संगत प्रावधानों के तहत विभागीय संकल्प ज्ञापांक 15350 दिनांक 27.11.2018 द्वारा ***'पेंशन से 10% (दस प्रतिशत) की राशि की कटौती स्थायी रूप से करने'*** का दण्ड को पूर्ववत् बरकरार रखा जाता है।

आदेश :–आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधितों को भेज दी जाय।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
राजेन्द्र राम, अपर सचिव।

सं0 2/मुक0–05–25/2014–सा0प्र0–7258

संकल्प

29 मई 2019

श्री देवेन्द्र कुमार सविता (सेवानिवृत्त बि0प्र0से0), कोटि क्रमांक 356/11, तत्कालीन भूमि सुधार उप समाहर्ता, छपरा सदर के विरूद्ध जिला पदाधिकारी, सारण, छपरा के पत्रांक 156/मु0 दिनांक 16.04.2008 द्वारा बिना किसी आरोप अथवा परिवाद–पत्र प्राप्त हुए बनियापुर अंचल में जमाबन्दी में की गयी कथित अनियमितता की जाँच कर तथ्यों से परे जाँच प्रतिवेदन समर्पित करने, कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, छपरा के रूप में नगर परिषद, छपरा के दाखिल खारिज वादों के निष्पादन हेतु अभिरूचि नहीं लेने, नगर परिषद के अन्तर्गत मेधा सूची एवं रोस्टर के अनुसार चयनित अभ्यर्थियों की सूची पैनल निर्माण समिति के सदस्यगण के हस्ताक्षर पश्चात वापस नहीं करने, सक्षम प्राधिकार की अनुमति के बिना मुख्यालय से अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने तथा अनधिकृत अनुपस्थिति के दौरान मोबाईल को स्वीचऑफ रखने एवं अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति हेतु संचिका लंबित रखने इत्यादि के लिए आरोप–पत्र प्रपत्र 'क' गठित कर विभाग को उपलब्ध कराया गया।

उक्त प्रतिवेदित आरोपों के लिए विभागीय पत्रांक 11934 दिनांक 18.07.2013 द्वारा श्री सविता से स्पष्टीकरण की मांग की गयी। कई बार स्मारित किए जाने के बावजूद श्री सविता का स्पष्टीकरण अप्राप्त रहा। तत्पश्चात् अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार संकल्प ज्ञापांक 10769 दिनांक 04.08.2014 द्वारा श्री सविता के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संस्थित की गयी, जिसमें आयुक्त, सारण प्रमंडल, छपरा को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

आयुक्त–सह–संचालन पदाधिकारी, सारण प्रमंडल, छपरा के पत्रांक 1003 दिनांक 09.05.2015 द्वारा जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया, जिसमें श्री सविता के विरूद्ध कुल 06 आरोपों में से 05 आरोपों को प्रमाणित एवं 01 आरोप को आंशिक रूप से प्रमाणित प्रतिवेदित किया गया।

संचालन पदाधिकारी द्वारा श्री सविता के विरूद्ध प्रमाणित आरोपों के लिए विभागीय पत्रांक 8073 दिनांक 05.06.2015 द्वारा अभ्यावेदन की मांग की गयी, जिसके आलोक में श्री सविता द्वारा अपना अभ्यावेदन दिनांक 13.07.2015 विभाग को समर्पित किया गया। उक्त अभ्यावेदन में श्री सविता द्वारा उनके विरूद्ध प्रतिवेदित सभी आरोपों को निराधार एवं पूर्वाग्रह से प्रेरित बताया गया।

अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त श्री देवेन्द्र कुमार सविता, (बि0प्र0से0), कोटि क्रमांक 356/11, तत्कालीन भूमि सुधार उप समाहर्ता, छपरा सदर द्वारा समर्पित अभ्यावेदन को अस्वीकृत करते हुए प्रमाणित पाये गये आरोपों के लिए उनके विरूद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–14 के संगत प्रावधानों के तहत ''संचयी प्रभाव से दो वेतनवृद्धियों पर रोक का दंड'' दिए जाने का निर्णय लिया गया।

विभागीय पत्रांक 21 दिनांक 04.01.2016 के आलोक में बिहार लोक सेवा आयोग के पत्रांक 363 दिनांक 06.05.2016 द्वारा विनिश्चित दंड पर सहमति प्रदान की गयी। तदनुसार श्री देवेन्द्र कुमार सविता, (बि0प्र0से0), कोटि क्रमांक 356/11, तत्कालीन भूमि सुधार उप समाहर्ता, छपरा सदर के विरूद्ध विभागीय संकल्प ज्ञापांक 7642 दिनांक 30.05.2016 द्वारा दंडादेश दिया गया।

उक्त दंड के विरूद्ध श्री सविता द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में सी0डब्ल्यू0जे0सी0 संख्या 16672/2014 दायर किया गया, जिसमें दिनांक 06.10.2017 को पारित न्यायादेश का कार्यकारी अंश निम्नवत् है :–

"So far as second contention of the learned counsel for the petitioner is concerned, on consideration of submission of both the parties and perusal of records, I find that the enquiry officer submitted his enquiry report vide Annexure-A to the counter affidavit without following the procedure under Rule 17 of the CCA Rules, 2005. From perusal of the enquiry report, it appears on the face of it that the enquiry officer did not allow the presenting officer to examine any witness or produce any documents. Even the presenting officer did not appear on any date before the enquiry officer. Rule 17 of the CCA Rules, 2005 provides that if the

proceedee, government servant does not appear, the enquiry officer shall fix the departmental enquiry ex-parte and ask the presenting officer to produce oral and documentary evidence in order to prove the charge against the proceedee, but from the enquiry report, itself, it appears that the enquiry officer has not, in fact, followed any procedure prescribed under Rule 17 of the CCA Rules, 2005 and submitted the enquiry report on his own, after perusal of the documents attached with the Form 'K' i.e. memo of charge. Therefore, I find that on such enquiry report, infliction of punishment is not sustainable in the eye of law as there is no enquiry report in view of Sub Rule 23 of Rule 17 of the CCA Rules, 2005.

Thus, Resolution dated 04.08.2014 as contained in Memo No. 10769 (Annexure-1) and Resolution bearing Memo No. 7642 Patna dated 30.05.2016 (Annexure-6) are set aside and the writ petition is, accordingly, allowed. The matter is remitted to the disciplinary authority to proceed further in accordance with law."

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आलोक में श्री सविता के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोपों के लिए संस्थित विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु निर्गत विभागीय संकल्प ज्ञापांक 10769 दिनांक 04.08.2014 एवं विभागीय संकल्प ज्ञापांक 7642 दिनांक 30.05.2016 द्वारा निर्गत दंडादेश को निरस्त करते हुए अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के संगत प्रावधानों के तहत विभागीय संकल्प ज्ञापांक 16693 दिनांक 29.12.2017 द्वारा नये सिरे से विभागीय कार्यवाही संस्थित की गयी, जिसमें विभागीय जाँच आयुक्त, बिहार, पटना को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया। इसी बीच श्री सविता के दिनांक 31.01.2018 को सेवानिवृत्त हो जाने के फलस्वरूप विभागीय संकल्प ज्ञापांक 2413 दिनांक 20.02.2018 द्वारा उनके विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही को बिहार पेंशन नियमावली के नियम–43(बी) के तहत् सम्परिवर्तित किया गया।

संचालन पदाधिकारी–सह–विभागीय जाँच आयुक्त के पत्रांक 496 दिनांक 08.06.2018 द्वारा जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया, जिसमें संचालन पदाधिकारी द्वारा श्री सविता के विरूद्ध प्रतिवेदित कुल–06 आरोपों में आरोप संख्या–02, 04, 05 एवं 06 को प्रमाणित तथा आरोप संख्या–01 एवं 03 को अप्रमाणित प्रतिवेदित किया गया।

आरोप संख्या–02 के संदर्भ में जाँच आयुक्त का निष्कर्ष निम्नलिखित है :–

''..... प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी ने स्पष्ट रूप से कहा कि जिला पदाधिकारी, सारण, छपरा के पत्रांक 37/सी0 दिनांक 04.01.2008 द्वारा आरोपित पदाधिकारी को स्पष्ट निदेश दिया गया था दाखिल खारिज से संबंधित मामलों के त्वरित निष्पादन हेतु दिनांक 10.01.2008 को शिविर का आयोजन कर व्यापक प्रचार–प्रसार कर लम्बित मामलों का शीघ्र निष्पादन किया जाय। परिवादी श्री धीरेन्द्र कुमार सिंह, मु0 दहियावाँ, छपरा द्वारा दिनांक 26.10.2006, 27.09.2007, 27.12.2007 को आवेदन दिया गया था कि अपने मकान का कर जमा करने हेतु वह लगातार कर संग्राहक से सम्पर्क कर रहे हैं, किन्तु उनके द्वारा नाजायज राशि की मांग की गयी और न देने के कारण कर जमा नहीं किया गया। उनके तीन आवेदनों को छानबीन कर समुचित कार्रवाई करने का आदेश आरोपित पदाधिकारी को दिया गया था और तीनों पत्रों की छाया प्रतियाँ साक्ष्य के रूप में दी गयी है, किन्तु आरोपित पदाधिकारी ने इस आरोप का विशिष्ट जवाब नहीं दिया है। उन्होंने घुमा–फिराकर जवाब दिया है कि उन्होंने शिविर लगाकर मामलों का निस्तार कर दिया। जब जिला पदाधिकारी ने शिविर लगाने की तिथि दिनांक 10.01.2008 को निर्धारित कर दी थी, तो आरोपित पदाधिकारी द्वारा स्पष्ट जवाब दिया जाना चाहिए कि उन्होंने उस दिन शिविर लगाया कि नहीं और यदि लगाया तो उसमें कितने मामले प्राप्त हुए, उनमें से कितने मामलों का निष्पादन हुआ और कितने मामले लम्बित रह गये तथा लम्बित होने का क्या कारण था, किन्तु श्री सविता ने ऐसा कोई साक्ष्य सहित जवाब नहीं दिया है। माना कि काफी लम्बी अवधि बीत चुकी है, फिर भी यदि उनके इस कथन में सच्चाई होती कि शिविर लगाकर निष्पादन किया गया था तो निश्चित रूप से उस कार्यालय में आवश्यक कागजात उपलब्ध होते और उसे वह यहाँ प्रस्तुत करते, किन्तु ऐसा नहीं किया गया। ऐसी स्थिति में यह स्पष्ट सिद्ध हो रहा है कि श्री सविता ने लम्बित मामलों के निर्धारित अवधि में निष्पादन तथा फलाफल की जानकारी जिला पदाधिकारी, सारण, छपरा को नहीं दी। अतः यह आरोप प्रमाणित होता है।''

आरोप संख्या–04 के संदर्भ में जाँच आयुक्त का निष्कर्ष निम्नलिखित है :–

''..... यह सर्वविदित तथ्य है कि नगर परिषद् के अध्यक्ष राजनैतिक जनप्रतिनिधि होते है और कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद् का मुख्य दायित्व होता है कि संचिका में नियमों–कानूनों के आलोक में प्रस्तावों की समीक्षा कर नगर परिषद् अध्यक्ष को उसे पेश करें। जब अवर प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, सारण, छपरा के उक्त पत्रांक 151 दिनांक 04.04.2008 में स्पष्ट लिखा गया है तो उसे झूठलाया नहीं जा सकता। आरोपित पदाधिकारी का यह कहना है कि अध्यक्ष, नगर परिषद् (श्रीमती गायत्री देवी) के पति उनका ऑफिस चलाते थे, तो कार्यपालक पदाधिकारी होने के नाते उनका भी कानूनी एवं नैतिक दायित्व था कि वह ऐसा नहीं होने देते तथा उच्चाधिकारियों के संज्ञान में इसे लाते। दूसरी ओर आरोपित पदाधिकारी ने स्वीकार किया है कि उनके पास अभी साक्ष्य नहीं है। ऐसी स्थिति में उस मामले में उपलब्ध तथ्यों, साक्ष्यों आदि के आलोक में यह स्पष्ट हो जाता है कि आरोपित पदाधिकारी का कथन विश्वास करने योग्य नहीं है। दूसरी ओर प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी ने जो साक्ष्य प्रस्तुत किया है, उसमें श्री राज कुमार साह, तत्कालीन अवर प्रमंडल शिक्षा पदाधिकारी, सारण, छपरा द्वारा जिला पदाधिकारी, सारण, छपरा को संबोधित पत्रांक 162 दिनांक 10.04.2008 में लिखा है कि चयनित

शिक्षकों की सूची उन्होंने कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद् छपरा के यहाँ दिनांक 10.03.2008 को भेजी थी, किन्तु एक माह तक (जिला पदाधिकारी, सारण, छपरा को सूचित करने की तिथि तक) उसे उन्होंने नहीं लौटाया। इस प्रकार शिक्षकों के मानदेय का भुगतान नहीं हो सका और वे शिक्षक कार्यालय में आकर कामकाज में व्यवधान उत्पन्न करते थे। इस लिखित ठोस साक्ष्य को काटने के लिए आरोपित पदाधिकारी ने कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया। ऐसी स्थिति में श्री सविता के विरूद्ध आरोप संख्या–4 प्रमाणित होता है।''

आरोप संख्या–05 के संदर्भ में जाँच आयुक्त का निष्कर्ष निम्नलिखित है :–

''..... प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी का कहना है कि अवर प्रमंडल शिक्षा पदाधिकारी, सारण, छपरा ने रोस्टर एवं मेघासूची आरोपित पदाधिकारी के पास भेजी थी। श्री राज कुमार साह, तत्कालीन अवर प्रमंडल शिक्षा पदाधिकारी, सारण, छपरा ने अपने पत्रांक 162 दिनांक 10.04.2008 द्वारा जिला पदाधिकारी, सारण, छपरा को सूचित किया था कि नगर परिषद् क्षेत्र में चयनित 112 शिक्षक अभ्यर्थियों की मेघासूची एवं रोस्टर आदि आरोपित पदाधिकारी अपने साथ ले गये थे और बार–बार मांगने के बाद भी उन्होंने श्री साह को नहीं लौटाया और बाद में श्री साह को ज्ञात हुआ कि उक्त मूल सूची फाड डाली गयी है, इसीलिए नगर परिषद् क्षेत्र में उन शिक्षकों की नियुक्ति नहीं हो सकी। तत्कालीन अवर प्रमंडल शिक्षा पदाधिकारी, सारण, छपरा ने कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, छपरा को अपने पत्रांक 151 दिनांक 04.04.2008 द्वारा भी सूचित किया था कि विद्यालय अवर निरीक्षक, छपरा से प्राप्त संचिका दिनांक 10.03.2008 को श्री साह द्वारा आरोपित पदाधिकारी के पास अनुमोदनार्थ भेजी गयी थी, किन्तु उक्त तिथि तक वापस नहीं लौटी इसलिए अध्यक्ष, नगर परिषद् से सूची अनुमोदित कराकर संचिका वापस करने का उन्होंने पुनः उनसे अनुरोध किया। इसी प्रकार दिनांक 12.02.2008 को नगर परिषद् के अध्यक्ष की अध्यक्षता में एक बैठक सम्पन्न हुई थी, जिसकी कार्यवाही में उपस्थिति में अध्यक्ष गायत्री देवी, अनुमंडल शिक्षा पदाधिकारी और अनुमंडल कल्याण पदाधिकारी तथा एक शिक्षक सदस्य के हस्ताक्षर हैं, किन्तु कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, छपरा का हस्ताक्षर नहीं है। कार्यवाही में स्पष्ट लिखा गया है कि निदेशक, प्राथमिक शिक्षा के पत्रांक 39 दिनांक 07.01.2008 के निदेशानुसार सारण जिले में दिनांक 30.11.2007 तक नियोजन की सारी प्रक्रिया पूर्ण रहने की स्थिति में संतुष्ट होने पर नियोजन पत्र वितरित करने का निदेश प्राप्त था। अध्यक्ष, नगर परिषद्, छपरा में अन्तिम काउंसिलिंग दिनांक 28.11.2007 को करायी जा चुकी थी। अतः उक्त बैठक में प्रस्ताव के अनुसार अभ्यार्थियों का चयन कर नियुक्ति पत्र दे दें। उसमें विभिन्न आरक्षण श्रेणियों में रिक्तियों आदि का भी उल्लेख किया गया और रोस्टर की भी बात की गयी थी। इससे स्पष्ट है कि आरोपित पदाधिकारी के गैर जिम्मेदारी वाले रवैये के कारण उक्त चयनित शिक्षकों का नियोजन नहीं किया जा सका। इस प्रकार आरोपित पदाधिकारी इस आरोप में भी दोषी सिद्ध होते हैं।''

आरोप संख्या–06 के संदर्भ में जाँच आयुक्त का निष्कर्ष निम्नलिखित है :–

''..... इससे स्पष्ट है कि आरोपित पदाधिकारी श्री सविता की बदनीयती के कारण अनुकम्पा जैसे महत्वपूर्ण एवं प्राथमिकता वाले मामले में भी उन्होंने आवश्यक कार्रवाई ससमय नहीं की। सुनवाई के दौरान श्री सविता ने कहा कि आश्रितों से शैक्षिक प्रमाण पत्र की मांग की गयी थी, किन्तु उन्होंने नहीं दिया इसलिए आरोपित पदाधिकारी ने उसपर हस्ताक्षर नहीं किया। यह कथन पूरी तरह विश्वसनीय नहीं है, क्योंकि जिला पदाधिकारी, सारण–सह–अध्यक्ष, जिला अनुकम्पा समिति द्वारा शैक्षिक प्रमाण पत्रों आदि की छान–बीन के बाद ही उपयुक्त पद पर नियुक्ति हेतु अनुशंसा की गई थी। वास्तव में जिला पदाधिकारी–सह–जिला अनुकम्पा समिति के पत्रांक 1713 दिनांक 19.11.2007 से तीन मृतक–आश्रितों की अनुशंसा अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति करने हेतु की गयी थी। इस संबंध में श्री सविता ने जिला पदाधिकारी के उक्त आदेश का उल्लंघन किया। इससे स्पष्ट है कि श्री सविता ने नियमों–कानूनों तथा शासन की नीतियों की परवाह बिल्कुल नहीं की और मनमाने तरीके से निहित स्वार्थ हेतु कार्य करते रहे, जो कत्तव्यहिनता और सरकारी सेवक के आचरण के विरूद्ध है। श्री सविता ने प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी द्वारा प्रस्तुत किये गये साक्ष्यों की काट में कोई भी ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया। अतः श्री सविता के विरूद्ध यह आरोप प्रमाणित होता है।''

विभागीय पत्रांक 8117 दिनांक 19.06.2018 द्वारा प्रमाणित आरोपों के लिए श्री सविता से बचाव अभ्यावेदन की मांग की गयी। उक्त के आलोक में श्री सविता द्वारा अपना बचाव अभ्यावेदन दिनांक 03.07.2018 विभाग को समर्पित किया गया, जिसमें किसी नये तथ्य का उल्लेख नहीं किया गया। उनके द्वारा उन्हीं तथ्यों का उल्लेख किया गया, जो पूर्व में किया गया था।

उल्लेखनीय है कि श्री सविता के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप, आरोपित पदाधिकारी का लिखित बचाव बयान एवं विभागीय मंतव्य की अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा सम्यक् समीक्षा की गयी। समीक्षोपरान्त अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा संचालन पदाधिकारी के प्रतिवेदन से श्री देवेन्द्र कुमार सविता (सेवानिवृत्त बि0प्र0से0), कोटि क्रमांक 356/11, तत्कालीन भूमि सुधार उप समाहर्ता, छपरा सदर सम्प्रति सेवानिवृत्त के विरूद्ध प्रमाणित आरोपों को देखते हुए उनके अभ्यावेदन को अस्वीकृत किया गया एवं बिहार पेंशन नियमावली के नियम–43(बी) के संगत प्रावधानों के तहत् *''पेंशन से 10% राशि की कटौती 05 (पाँच) वर्षों तक करने''* का दंड विनिश्चित किया गया है।

विभागीय पत्रांक 12722 दिनांक 20.09.2019 द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग, पटना से श्री सविता के विरूद्ध विनिश्चित दंड प्रस्ताव पर परामर्श की मांग की गई। उक्त के आलोक में आयोग के पत्रांक 3561 दिनांक 27.03.2019 द्वारा अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा विनिश्चित दंड प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त की गयी।

वर्णित तथ्यों के आधार पर विनिश्चित दंड प्रस्ताव एवं बिहार लोक सेवा आयोग से प्राप्त सहमति के आलोक में अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार श्री देवेन्द्र कुमार सविता (सेवानिवृत्त बि0प्र0से0), कोटि क्रमांक 356/11, तत्कालीन भूमि सुधार उप समाहर्ता, छपरा सदर के विरूद्ध प्रमाणित आरोपों के लिए बिहार पेंशन नियमावली के नियम–43(बी) के

प्रावधानों के तहत् *''पेंशन से 10% राशि की कटौती 05 (पाँच) वर्षों तक करने''* का दण्ड अधिरोपित करने का निर्णय लिया गया।

अतः अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार श्री देवेन्द्र कुमार सविता (सेवानिवृत्त बि0प्र0से0), कोटि क्रमांक 356/11, तत्कालीन भूमि सुधार उप समाहर्ता, छपरा सदर के विरूद्ध प्रमाणित आरोपों के लिए बिहार पेंशन नियमावली के नियम–43(बी) के प्रावधानों के तहत् ***''पेंशन से 10% राशि की कटौती 05 (पाँच) वर्षों तक करने''*** का दण्ड अधिरोपित एवं संसूचित किया जाता है।

आदेश :–आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
राजेन्द्र राम, अपर सचिव।

———

सं0 2/आरोप–01–06/2016–सा0प्र0– 7309

———

संकल्प

29 मई 2019

श्री काशीनाथ सिंह (सेवानिवृत बि0प्र0से0), कोटि क्रमांक 172/11, तत्कालीन विशेष सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना के विरूद्ध ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 1070/अनु0 दिनांक 29.03.2016 द्वारा आरोप–पत्र प्रपत्र 'क' गठित कर बिहार पेंशन नियमावली के अधीन कार्यवाही चलाने की अनुशंसा की गयी। श्री सिंह के विरूद्ध आरोप है कि विशेष सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना के पदस्थापन अवधि में श्री सुदर्शन राम, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल–हिलसा के विरूद्ध उनकी सेवानिवृत्ति की तिथि (दिनांक 30.06.2015) ज्ञात रहने के बावजूद छड़ों की निलामी में बरती गयी अनियमितता के लिये एक वेतनवृद्धि (01.07.2014 को देय) रोकने का प्रस्ताव दिनांक 01.07.2014 के बाद दिया गया। प्रस्तावित दंड तकनीकी रूप से अधिरोपित किया जाना संभव नहीं होने के फलस्वरूप श्री सिंह के विरूद्ध कर्त्तव्यहीनता का आरोप प्रतिवेदित किया गया।

2. श्री सिंह के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप पर विभागीय पत्रांक 8592 दिनांक 15.06.2016 द्वारा स्पष्टीकरण की मांग की गयी। उक्त के आलोक में श्री सिंह के पत्र दिनांक 06.07.2016 द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किया गया। श्री सिंह दिनांक 30.09.2014 को सेवानिवृत्त हो गये।

3. प्रतिवेदित आरोप एवं समर्पित स्पष्टीकरण पर सम्यक् विचारोपरांत अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार श्री सिंह के विरूद्ध बिहार पेंशन नियमावली, 1950 के नियम–43(बी) के संगत प्रावधानों के तहत् विभागीय संकल्प ज्ञापांक 13851 दिनांक 07.10.2016 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी, जिसमें विभागीय जाँच आयुक्त, बिहार, पटना को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

4. विभागीय जाँच आयुक्त–सह–संचालन पदाधिकारी के पत्रांक 283 दिनांक 15.03.2018 द्वारा विभागीय कार्यवाही का जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ, जिसमें संचालन पदाधिकारी द्वारा श्री सिंह के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप संख्या–1 को आंशिक रूप से प्रमाणित प्रतिवेदित किया गया। आंशिक रूप से प्रमाणित आरोप पर विभागीय पत्रांक 5601 दिनांक 27.04.2018 द्वारा श्री सिंह से जाँच प्रतिवेदन के आलोक में अभ्यावेदन की मांग की गयी। उक्त के आलोक में श्री सिंह के अभ्यावेदन दिनांक 07.06.2018 समर्पित किया गया।

5. श्री सिंह के विरूद्ध संचालन पदाधिकारी द्वारा प्रतिवेदित आरोप, आरोपित पदाधिकारी का लिखित बचाव बयान, विभाग का मंतव्य, विभागीय मंतव्य पर आरोपित पदाधिकारी की प्रतिक्रिया के आलोक में सुनवाई कर विश्लेषणोपरान्त श्री सिंह के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप को आंशिक रूप से प्रमाणित पाया गया। संचालन पदाधिकारी द्वारा जाँच प्रतिवेदन में स्पष्ट रूप से प्रतिवेदित किया गया है कि श्री सिंह द्वारा दिनांक 30 जुलाई, 2014 को यह संभावना जताना कि वेतनवृद्धि संबंधित पुर्जा निर्गत करने में महालेखाकार कार्यालय, बिहार द्वारा विलम्ब संभावित होगा, इसलिए उसके आधार पर पिछली तिथि के प्रभाव से वेतनवृद्धि पर रोक का प्रस्ताव दिया जाना नियमानुकूल नहीं था। यद्यपि महालेखाकार कार्यालय का पत्रांक 1135 दिनांक 07.11.2016 से श्री सिंह को यह सूचना, सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत दी गयी कि श्री राम को दिनांक 01.07.2014 को देय वेतनवृद्धि के साथ उस कार्यालय द्वारा वेतनपुर्जा अबतक निर्गत नहीं किया गया है, किन्तु जैसा कि पूर्व में स्पष्ट किया जा चुका है कि दिनांक 01.07.2014 को देय वेतनवृद्धि को रोकने संबंधी अधिसूचना उसके बाद निर्गत करने पर वह नियमानुकूल नहीं होती और उसके आधार पर महालेखाकार, बिहार आवश्यक कार्रवाई भी नहीं करता, जैसा कि उसने पूर्व में सूचित किया था इसलिए श्री सिंह द्वारा दिया गया प्रस्ताव तर्क, तथ्य एवं नियमों के अनुकूल नहीं था। विशेषकर जब प्रशाखा ने दिनांक 23.07.2014 को संचिका में स्पष्ट कर दिया था कि श्री राम को अब एक वेतनवृद्धि रोकने का प्रस्ताव नहीं दिया जा सकता। उन्हें पुनः सचिव से विमर्श करके वस्तुस्थिति स्पष्ट कर देनी चाहिये थी। बेहतर होता कि श्री सिंह द्वारा श्री सुदर्शन राम को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–14(iii) के तहत् श्री राक की लापरवाही के कारण सरकार को पहुंचाई गयी वित्तीय हानि की पूरी या आंशिक वसूली उनके वेतन से करने का प्रस्ताव दिया जाना चाहिए था, किन्तु श्री सिंह ने ऐसा नहीं किया। दूसरी ओर यह भी सही है कि ग्रामीण कार्य विभाग के जिन पदाधिकारियों ने श्री राम की तीन वेतनवृद्धि रोकने का प्रस्ताव दिया था (जबकि उनकी सेवानिवृत्ति सन्निकट थी), वह भी उचित नहीं था, उनपर भी दायित्व निर्धारण होना चाहिए था। इसी प्रकार उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों से स्पष्ट होता है

कि तत्कालीन सचिव ने विमर्श के दौरान श्री सिंह को यह निदेश दिया था कि एक वेतनवृद्धि रोकने का प्रस्ताव दिया जाय, तो वह भी उचित नहीं था। श्री सिंह ने सचिव से जिस विमर्श का हवाला दिया है, जाहिर है वह मौखिक विमर्श था, इसलिए उसे विधिवत् संचिका पर दर्ज नहीं किया, किन्तु जब तत्कालीन विशेष सचिव, श्री सिंह द्वारा श्री राम की एक वेतनवृद्धि रोक दिये जाने के प्रस्ताव से तुरंत सहमत हो गये (और इसीलिये संचिका में उन्होंने संक्षेप में विमर्श करने की बात लिखी थी), तो इससे यह परिलक्षित होता है कि सचिव श्री राम की एक वेतनवृद्धि रोकने के प्रस्ताव से सहमत थे, फिर विभागीय मंत्री ने भी उसका अनुमोदन कर दिया था। ऐसी स्थिति में श्री सिंह को अकेले इस मामले में पूरी तरह दोषी ठहराया जाना न्यायोचित नहीं है, बल्कि वह आंशिक रूप से ही दोषी हैं।

6. वर्णित तथ्यों के आलोक में सम्यक् विचारोपरान्त अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्री सिंह के अभ्यावेदन को अस्वीकृत करते हुए एवं संचालन पदाधिकारी के प्रतिवेदन से सहमत होते हुए श्री काशीनाथ सिंह (सेवानिवृत्त बि0प्र0से0), कोटि क्रमांक 172/11, तत्कालीन विशेष सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना के विरूद्ध आंशिक रूप से प्रमाणित पाये गये आरोप के लिए बिहार पेंशन नियमावली, 1950 के नियम–43(बी) के संगत प्रावधानों के तहत श्री सिंह के ''पेंशन से 5% राशि 02 (दो) वर्षों तक रोकने'' का दंड विनिश्चित किया गया।

7. विभागीय पत्रांक 10895 दिनांक 13.08.2018 एवं पत्रांक 875 दिनांक 21.01.2019 द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग, पटना से श्री सिंह के विरूद्ध विनिश्चित दंड प्रस्ताव पर परामर्श की मांग की गई। उक्त के आलोक में आयोग के पत्रांक 3564 दिनांक 27.03.2019 द्वारा अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा विनिश्चित दंड प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त की गयी।

8. वर्णित तथ्यों के आधार पर बिहार लोक सेवा आयोग से प्राप्त सहमति के आलोक में अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार श्री काशीनाथ सिंह (सेवानिवृत्त बि0प्र0से0), कोटि क्रमांक 172/11, तत्कालीन विशेष सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना के विरूद्ध आंशिक रूप से प्रमाणित पाये गये आरोप के लिए बिहार पेंशन नियमावली, 1950 के नियम–43(बी) के संगत प्रावधानों के तहत श्री सिंह के **''पेंशन से 5% राशि 02 (दो) वर्षों तक रोकने''** का दण्ड अधिरोपित करने का निर्णय लिया गया।

9. अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार श्री काशीनाथ सिंह (सेवानिवृत्त बि0प्र0से0), कोटि क्रमांक 172/11, तत्कालीन विशेष सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना के विरूद्ध आंशिक रूप से प्रमाणित पाये गये आरोप के लिए बिहार पेंशन नियमावली, 1950 के नियम–43(बी) के संगत प्रावधानों के तहत श्री सिंह के **''पेंशन से 5% राशि 02 (दो) वर्षों तक रोकने''** का दण्ड दिया एवं संसूचित किया जाता है।

आदेश :–आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
राजेन्द्र राम, अपर सचिव।

सं0 2/आरोप–01–45/2013–सा0प्र0–2020

संकल्प

13 फरवरी 2019

श्री मधु गुप्ता (सेवानिवृत्त बि0प्र0से0), कोटि क्रमांक–47/11, तत्कालीन संयुक्त सचिव, खान एवं भूतत्व विभाग, बिहार, पटना के विरूद्ध खान एवं भूतत्व विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 1015 दिनांक 15.04.2013 द्वारा कतिपय आरोपों यथा– जिला पदाधिकारी, गया द्वारा समर्पित प्रतिकूल प्रतिवेदन एवं उप निदेशक, खान एवं भूतत्व, मुख्यालय की टिप्पणी में उठायी गयी आपत्तियों एवं साक्ष्यों के बावजूद मेसर्स B.S.S. Project Pvt.Ltd. के लिए सुरक्षित जमा राशि का निर्धारण की अनुशंसा करने, आवेदक कम्पनी को अनुचित लाभ पहुँचाने, जिला पदाधिकारी, गया के प्रतिवेदन को वरीय पदाधिकारियों के संज्ञान में नहीं लाने तथा सुरक्षित जमा राशि निर्धारण एवं पट्टा के निष्पादन में अनियमितता बरतने के लिए आरोप–पत्र प्रपत्र 'क' गठित कर अनुशासनिक कार्रवाई किये जाने की अनुशंसा की गयी।

उक्त के आलोक में विभागीय संकल्प ज्ञापांक 5165 दिनांक 15.04.2014 द्वारा श्री गुप्ता के विरूद्ध बिहार पेंशन नियमावली, 1950 के नियम 43(बी) के तहत् विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी, जिसमें विभागीय जाँच आयुक्त, बिहार, पटना को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

विभागीय जाँच आयुक्त–सह–संचालन पदाधिकारी के पत्रांक 73 दिनांक 15.02.2016 द्वारा जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया, जिसमें श्री गुप्ता के विरूद्ध आरोप–पत्र प्रपत्र 'क' में अंतर्विष्ट तीनों आरोपों को अप्रमाणित प्रतिवेदित किया गया।

संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन की समीक्षा के क्रम में श्री गुप्ता के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप एवं संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन पर विभागीय पत्रांक 15504 दिनांक 17.11.2016 द्वारा खान एवं भूतत्व विभाग, बिहार, पटना से एक तथ्य परक प्रतिवेदन की मांग की गयी। खान एवं भूतत्व विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 2673 दिनांक 13.09.2017 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रतिवेदन/मंतव्य के आलोक में समीक्षोपरान्त अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन से असहमति व्यक्त की गयी। संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन पर अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा निम्नांकित बिन्दुओं पर असहमति व्यक्त की गयी–

''तत्कालीन उप निदेशक, खान (मु0) ने अपने प्रस्ताव में जिला पदाधिकारी, गया के पत्रांक 1307 दिनांक 31.07.2010 में उल्लेखित तथ्यों की अपनी टिप्पणी में विस्तारपूर्वक चर्चा की। इसके अतिरिक्त आवेदक कम्पनी के पत्र का उल्लेख

करते हुए कम्पनी द्वारा 1,90,345 घनफीट स्टोन चिप्स एवं 28000 घनफीट बोल्डर क्रय किये जाने का उल्लेख अपनी टिप्पणी में किया। साथ ही, आवेदक को मेसर्स माँ मंगला कन्स्ट्रक्शन, गया के पार्टनर श्री कृष्ण कमल प्रसाद द्वारा पत्थर की आपूर्ति उनके खनन पट्टा क्षेत्र से करने का उल्लेख करते हुए यह पृच्छा कि संबंधित पट्टेधारी द्वारा उक्त आपूर्ति आवेदक को करने की सूचना समाहर्त्ता, गया, खनन कार्यालय, गया को दी गई थी अथवा नहीं। उन्होंने समाहर्त्ता, गया के अनुरोध के आलोक में आदेश हेतु संचिका तत्कालीन अपर निदेशक, श्री इन्द्रदेव पासवान को उपस्थापित की। तत्कालीन अपर निदेशक, श्री इन्द्रदेव पासवान एवं तत्कालीन संयुक्त सचिव, श्री मधु गुप्ता द्वारा आवेदित क्षेत्र पर पत्थर का अवैध भंडारण करने संबंधी समाहर्त्ता, गया द्वारा उल्लेखित तथ्य एवं अनुरोध तथा तत्कालीन उप निदेशक (मु0) के प्रस्ताव की अनदेखी करते हुए नियम के प्रतिकूल भंडारण अनुज्ञप्ति स्वीकृत करने की अनुशंसा की गई। साथ ही अवैध रूप से पत्थर का भंडारण करने तथा तद्नुसार बिहार खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण निवारण) नियमावली, 2003 के नियम–7 का उल्लंघन आवेदक द्वारा किये जाने संबंधी, जिसका विवरण उप निदेशक (मु0) की टिप्पणी में स्पष्ट रूप से उल्लेखित था, की अनदेखी की गई। उक्त नियमावली के नियम–8(ग) के तहत् खनिज सीज करने संबंधी कार्रवाई के क्रम में नियम–8(घ) के तहत् कार्रवाई करने संबंधित को सुझाव नहीं देकर उक्त नियम में निहित प्रावधान की अनदेखी की गई। समाहर्त्ता, गया ने अपने पत्र में आवेदक को भंडारण अनुज्ञप्ति देने के संबंध में कोई स्पष्ट अनुशंसा नहीं की थी तथा आवेदक द्वारा किये गये अवैध भंडारण का भी स्पष्ट उल्लेख किया था।

समाहर्त्ता का प्रतिकूल प्रतिवेदन रहने के बावजूद तत्कालीन अपर निदेशक, श्री पासवान तथा तत्कालीन संयुक्त सचिव, श्री गुप्ता द्वारा संबंधित आवेदक के विरूद्ध बिहार खनिज (अवैध खनन, परिवहन, निवारण एवं भंडारण) नियमावली, 2003 के नियम–8(घ) के तहत् नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की अनुशंसा की जानी थी, लेकिन उनके द्वारा इस तथ्य की अवहेलना करते हुए आवेदक के पक्ष में सुरक्षित जमा–राशि का निर्धारण कर पत्थर भंडारण की अनुज्ञप्ति करने की अनुशंसा की गई, जो नियमानुसार सही नहीं थी। इसके अतिरिक्त उपर्युक्त नियमावली के नियम–7(1)(डी) में निहित प्रावधान के तहत् लोक निलामी के माध्यम से उच्चतम डाक वक्ता के पक्ष में पत्थर भंडारण अनुज्ञप्ति स्वीकृत किये जाने संबंधी प्रावधान की भी अनदेखी की गई।''

विभागीय पत्रांक 6466 दिनांक 18.05.2018 द्वारा असहमति के बिन्दु पर श्री गुप्ता से अभ्यावेदन की मांग की गयी। श्री गुप्ता द्वारा दिनांक 10.07.2018 को अभ्यावेदन समर्पित किया गया।

श्री गुप्ता के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप, असहमति के बिन्दु पर समर्पित अभ्यावेदन एवं संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन की अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा सम्यक् समीक्षा की गयी। समीक्षा में पाया गया कि श्री गुप्ता द्वारा अभ्यावेदन में उल्लेखित किया गया कि भंडारित पत्थर का व्यवसायिक उपयोग परिलक्षित नहीं हुआ तो जप्ति के पश्चात् कोई कार्रवाई न कर सुरक्षित जमा निर्धारण हेतु सभी आवश्यक कागजात संलग्न कर पत्र सं0–1307 दिनांक 31.07.2010 द्वारा विभाग को सुरक्षित जमा निर्धारण हेतु समाहर्त्ता, गया द्वारा भेजा गया। जिला एवं निदेशालय से सक्षम पदाधिकारियों ने पाया कि स्थल पर भंडारित पत्थर वैध तरीके से भंडारित पाया।

श्री गुप्ता द्वारा अभ्यावेदन में उन्हीं तथ्यों का उल्लेख किया गया है, जो उनके द्वारा पूर्व में किया गया था। उनके द्वारा किसी नये तथ्य का उल्लेख नहीं किया गया है।

इस संदर्भ में उल्लेखनीय है कि श्री गुप्ता के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के आलोक में खान एवं भूतत्व विभाग, बिहार, पटना द्वारा स्पष्ट रूप से प्रतिवेदित किया गया है कि–

''समाहर्त्ता का प्रतिकूल प्रतिवेदन रहने के बावजूद तत्कालीन अपर निदेशक श्री पासवान तथा तत्कालीन संयुक्त सचिव श्री गुप्ता द्वारा संबंधित आवेदक के विरूद्ध बिहार खनिज (अवैध खनन, परिवहन, निवारण एवं भंडारण) नियमावली, 2003 के नियम–8(घ) के तहत् नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की अनुशंसा की जानी थी, लेकिन उनके द्वारा इस तथ्य की अवहेलना करते हुए आवेदक के पक्ष में सुरक्षित जमा–राशि का निर्धारण कर पत्थर भंडारण की अनुज्ञप्ति निर्गत करने की अनुशंसा की गई, जो नियमानुसार सही नहीं थी। इसके अतिरिक्त उपर्युक्त नियमावली के नियम–7(1)(डी) में निहित प्रावधान के तहत् लोक निलामी के माध्यम से उच्चतम डाक वक्ता के पक्ष में पत्थर भंडारण अनुज्ञप्ति स्वीकृत किये जाने संबंधी प्रावधान की भी अनदेखी की गई।''

अतएव उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्री गुप्ता के अभ्यावेदन को अस्वीकृत करते हुए इनके विरूद्ध बिहार पेंशन बिहार पेंशन नियमावली के नियम–43(बी) के प्रावधानों के तहत् **'पेंशन से 5% राशि की कटौती 03 (तीन) वर्षों तक करने'** का दंड विनिश्चित किया गया।

अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्री गुप्ता के विरूद्ध विनिश्चित दंड प्रस्ताव पर विभागीय पत्रांक 1872 दिनांक 05.09.2018 द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग, बिहार, पटना से सहमति/परामर्श की मांग की गयी। उक्त के आलोक में बिहार लोक सेवा आयोग के पत्रांक 2879 दिनांक 28.01.2019 द्वारा सहमति/परामर्श समर्पित किया गया, जिसमें श्री गुप्ता के विरूद्ध विभागीय दंड प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त की गयी है।

अतः अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार श्री मधु गुप्ता (सेवानिवृत्त बि0प्र0से0), कोटि क्रमांक–47/11, तत्कालीन संयुक्त सचिव, खान एवं भूतत्व विभाग, बिहार, पटना के विरूद्ध बिहार पेंशन नियमावली, 1950 के नियम–43(बी) के तहत् उनके ***'पेंशन से 5% राशि की कटौती 03 (तीन) वर्षों तक करने'*** का दंड अधिरोपित एवं संसूचित किया जाता है।

आदेश :–आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति सभी संबंधितों को जानकारी एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए भेज दी जाय।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
राम बिशुन राय, अवर सचिव।

सं0 2/नि0था0–11–07/2017–सा0प्र0–2601

संकल्प

25 फरवरी 2019

श्री देवेन्द्र कुमार दर्द (बि0प्र0से0), कोटि क्रमांक 1103/11, तत्कालीन जिला आपूर्ति पदाधिकारी, भागलपुर सम्प्रति निलंबित मुख्यालय–आयुक्त कार्यालय, पटना प्रमंडल, पटना के विरूद्ध पुलिस अधीक्षक, निगरानी विभाग (अन्वेषण ब्यूरो), बिहार, पटना के ज्ञापांक 3346 दिनांक 22.11.2017 द्वारा रू0 77,85,546/– के प्रत्यानुपातिक धनार्जन के आरोप में निगरानी थाना कांड संख्या 082/17 दिनांक 31.01.2017 धारा–13(2)सह–पठित धारा–13(1)(ई) भ्र0नि0अधि0, 1988 दर्ज किया गया।

श्री दर्द के विरूद्ध प्रत्यानुपातिक धनार्जन संबंधी गंभीर आरोप के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–9(1)(क) एवं (ग) के प्रावधानों के तहत् विभागीय संकल्प ज्ञापांक 16459 दिनांक 26.12.2017 द्वारा तात्कालिक प्रभाव से निलंबित किया गया। निलंबन अवधि में श्री दर्द का मुख्यालय–आयुक्त कार्यालय, पटना प्रमंडल, पटना निर्धारित किया गया।

श्री दर्द के विरूद्ध निगरानी अन्वेषण ब्यूरो से प्राप्त पत्र एवं संचिका में उपलब्ध कागजातों के आधार पर विभागीय स्तर पर आरोप–पत्र गठित कर अनुशासनिक प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त किया गया। प्रतिवेदित आरोपों पर विभागीय पत्रांक 4329 दिनांक 03.04.2018 द्वारा श्री दर्द का स्पष्टीकरण की मांग की गयी एवं स्मारित किये जाने के बावजूद श्री दर्द द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित नहीं किया गया।

तत्पश्चात् अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्री दर्द के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप पर सम्यक् विचारोपरान्त अनुलग्नक अनुबंध में अंतर्विष्ट आरोपों की जाँच के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली के नियम–17 के संगत प्रावधानों के तहत् विभागीय कार्यवाही संचालित किये जाने का निर्णय लिया गया है। विभागीय कार्यवाही में मुख्य जाँच आयुक्त, बिहार, पटना को संचालन पदाधिकारी तथा निगरानी विभाग, बिहार, पटना द्वारा नामित किन्हीं वरीय पदाधिकारी को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

निगरानी विभाग, बिहार, पटना विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी को सहयोग प्रदान करने हेतु अपने अधीनस्थ किसी वरीय पदाधिकारी को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त कर संचालन पदाधिकारी मुख्य जाँच आयुक्त, बिहार, पटना एवं सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचित करेंगे।

श्री दर्द से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने बचाव के संबंध में अपना पक्ष रखने हेतु, जैसा कि संचालन पदाधिकारी अनुमति दें, उनके समक्ष स्वयं उपस्थित होंगे।

आदेश :–आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
राम बिशुन राय, अवर सचिव।

सं0 2/नि0था0–11–01/2017–सा0प्र0– 3246

संकल्प

8 मार्च 2019

श्री गुलाम मुस्तफा अंसारी (बि0प्र0से0), कोटि क्रमांक 929/11, अनुमंडल पदाधिकारी, जयनगर, मधुबनी सम्प्रति निलंबित मुख्यालय–आयुक्त कार्यालय, पटना प्रमंडल, पटना के विरूद्ध प्रत्यानुपातिक धनार्जन करने के आरोप के लिए दर्ज निगरानी थाना कांड संख्या 137/2016 दिनांक 09.12.2016, धारा–13(2)–सह–पठित धारा–13(1)(ई) भ्र0नि0अधि0, 1988 में विभागीय स्तर पर आरोप–पत्र प्रपत्र 'क' गठित किया गया एवं अनुशासनिक प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त किय गया।

गठित आरोपों पर विभागीय पत्रांक 7494 दिनांक 19.06.2017 द्वारा श्री अंसारी से स्पष्टीकरण की मांग की गयी। उक्त के आलोक में श्री अंसारी के पत्र दिनांक 17.08.2017 द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किया गया। श्री अंसारी द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण पर विभागीय पत्रांक 12821 दिनांक 25.09.2018 द्वारा निगरानी अन्वेषण ब्यूरो से मंतव्य की मांग की गयी। निगरानी अन्वेषण ब्यूरो के पत्रांक 209 दिनांक 24.01.2019 द्वारा मंतव्य समर्पित किया गया, जिसमें श्री अंसारी के विरूद्ध 44,51,919/–रूपये के प्रत्यानुपातिक धनार्जन का मामला पाये जाने का उल्लेख किया गया और अनुसंधान जारी रहने की बात कही गयी है।

अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्री अंसारी के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोपों, समर्पित स्पष्टीकरण एवं निगरानी अन्वेषण ब्यूरो के मंतव्य पर सम्यक् विचारोपरान्त अनुलग्नक अनुबंध में अंतर्विष्ट आरोपों की जाँच के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली के नियम–17 के संगत प्रावधानों के तहत् विभागीय कार्यवाही संचालित किये जाने का निर्णय लिया गया है। विभागीय कार्यवाही में मुख्य जाँच आयुक्त, बिहार, पटना को संचालन पदाधिकारी तथा निगरानी विभाग, बिहार, पटना द्वारा नामित किन्हीं वरीय पदाधिकारी को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

निगरानी विभाग, बिहार, पटना विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी को सहयोग प्रदान करने हेतु अपने अधीनस्थ किसी वरीय पदाधिकारी को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त कर संचालन पदाधिकारी मुख्य जाँच आयुक्त, बिहार, पटना एवं सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचित करेंगे।

श्री अंसारी से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने बचाव के संबंध में अपना पक्ष रखने हेतु, जैसा कि संचालन पदाधिकारी अनुमति दें, उनके समक्ष स्वयं उपस्थित होंगे।

आदेश :–आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
राम बिशुन राय, अवर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट, 13–571+10–डी0टी0पी0।
Website : http : / / egazette . bih . nic . in